25 बेमिसाल वर्ष राष्ट्र की सेवा में समर्पित

वार्षिक रिपोर्ट 2000-2001

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

180 मेगावाट बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश (पावर हाउस)

विषय-सूची

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य 2

निदेशक मंडल 3

कारपोरेट रूपरेखा 6

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष) 8

अध्यक्षीय संबोधन 11

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 16

वार्षिक लेखे 32

तुलन-पत्र का सार तथा निगम के व्यवसाय की रूपरेखा 52

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 56

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां 62

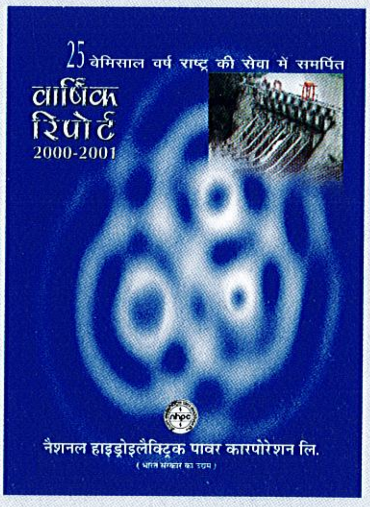

निगम का लक्ष्य

एन.एच.पी.सी. का लक्ष्य देश की विशाल जल विद्युत, ज्वारीय, पवन ऊर्जा, भू-तापीय और गैस ऊर्जा संभाव्यता का दोहन करके सस्ती, प्रदूषण-रहित और कभी न समाप्त होने वाली बिजली का उत्पादन करना है। एन.एच.पी.सी. केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत, ज्वारीय, गैस ऊर्जा, भू-तापीय और पवन ऊर्जा संभाव्यता के एकीकृत और दक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विकास में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस ऊर्जा और पवन बिजली परियोजनाओं का अन्वेषण, योजना, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन व रख-रखाव करने जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।

निगम का उद्देश्य

आधुनिक प्रणाली-विज्ञान और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर हाइड्रो परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त करना और साथ ही साथ एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाकर न्यूनतम लागत और कम से कम समय में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना।

संचालन और रख-रखाव की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर संचालित पावर स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें पावर जनरेटिंग स्टेशनों का संवर्धन, आधुनिकीकरण और जहाँ आवश्यक हो, इनकी क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

व्यापक कारपोरेट योजना बनाना और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना तथा देश में बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर इन योजनाओं को निरंतर नयापन देना। पावर क्षेत्र में निगम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना और प्रतिष्ठा निर्माण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करना।

आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव संसाधन विकास के साथ-साथ उपयुक्त संगठनात्मक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और इसे प्राप्त करना।

देश में मिले-जुले पावर अनुपात में जल विद्युत के हिस्से में सुधार करने की दृष्टि से नदी बेसिनों के हाइड्रो-पावर संसाधनों का अधिकतम और तेज़ी से विकास करना।

देश में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस ऊर्जा और पवन बिजली परियोजनाओं का निष्पादन हाथ में लेना।

परियोजना अन्वेषण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्यों को हाथ में लेना। देश तथा विदेश में डिपॉजिट आधार पर टर्नकी निष्पादन के कार्य हाथ में लेना।

विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय चेतना पक्ष को अपनाना।

वित्तीय उद्देश्य

क्षमता में बढ़ोत्तरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कारपोरेट योजनाओं का अनुकूल निर्माण करना।

अत्यंत किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत में पूरा करना।

निदेशक मंडल

(1.11.2001 को)

श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

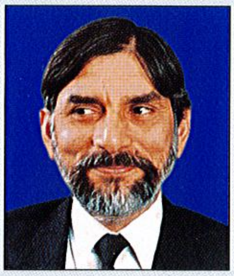

श्री बिनय कुमार
निदेशक (कार्मिक)

श्री ए.के. गंगोपाध्याय
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर. के. शर्मा
निदेशक (तकनीकी)

श्री अनिल राज़दान
संयुक्त सचिव (हाइड्रो)
विद्युत मंत्रालय

श्री आर. रामानुजम
संयुक्त सचिव व वित्तीय
सलाहकार, विद्युत मंत्रालय

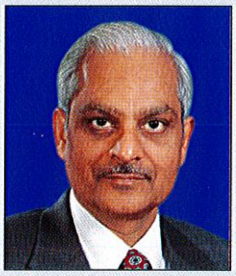

श्री सी.पी. जैन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,
एनटीपीसी

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
105, ज्योति भवन,
डा. मुखर्जी नगर,
कामर्शियल काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110009

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स के.बी. शर्मा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
हाल नं.1, सैक्टर 2,
तवी कामर्शियल काम्प्लेक्स, चन्नी हिम्मत,
जम्मू-180015
मैसर्स साहा गांगुली एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
शांति निकेतन
8, कामेक स्ट्रीट (छठी मंजिल)
कलकत्ता-700017
मैसर्स के.के. घई एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
806, हेमकुंट हाऊस
6, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110008

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कारपोरेशन बैंक
बैंक ऑफ भूटान
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
जे. एण्ड के. बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा)

60 मेगावाट कुरिचू जल विद्युत परियोजना - भूटान (कंक्रीट बाँध)

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2000-2001	1999-2000	1998-99	1997-98
बिक्री व ढुलाई प्रभार	*	11428	10757	11944	9930
विविध आय	@	7881	2026	391	44
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर से पूर्व लाभ	$	11726	10707	9992	8491
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात लाभ		4471	4012	3053	2994
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर के पश्चात लाभ		4434	4012	3053	2994
लाभांश		300	150	150	150
आरक्षति तथा अधिशेष (संचयी)		21391	16906	12721	9486
निगम का स्वामित्व					
सकल स्थिर परिसंपत्तियां		78927	77527	70904	69036
मूल्यह्रास		12801	10290	8111	5986
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां		**66126**	**67237**	**62793**	**63050**
चालू पूंजीगत कार्य		37108	27686	25760	20731
निर्माण स्टोर व पेशगियां		6130	5115	3228	3320
निवेश		6799	-	-	-
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		18642	21009	14718	12525
विविध खर्च बट्टे खाते न डाला गया		98	19	4	17
		134903	121066	106503	99643
निगम की देयता					
शुद्ध मूल्य					
- हिस्सा पूंजी		51882	44462	38250	33930
- आरक्षित		21391	16906	12721	9486
- मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय		5199	3861	2455	1305
उधार		56431	55837	53077	54922
		134903	121066	106503	99643
संचालित कार्य-निष्पादन		2000-2001	1999-2000	1998-99	1997-98
उत्पादन (मिलियन यूनिट)		8774	8691	9917	8816
मशीन उपलब्धता (%*)		92.09	91.05	88.39	83.00
बिक्री (करोड़ रुपए)		1143	1076	1194	993
जन शक्ति (संख्या)		11850	12150	11860	11799

* टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के बदले पेशगी के पश्चात् शुद्ध बिक्री

@ ठेकों के लिए प्राप्तियां शामिल हैं

$ पूर्व-अवधि समायोजन के पश्चात्

(मिलियन रुपए)

1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
5344	5091	4805	2087	1552	2306
217	20	16	22	53	257
4811	4330	3714	1714	1244	1671
1067	774	937	705	415	493
1067	774	937	705	415	493
150	150	100	50	-	-
6345	5443	4819	3982	3327	2912
38938	37275	35978	16040	12293	14832
6228	4901	3698	2912	2662	2517
32710	**32374**	**32280**	**13128**	**9631**	**12315**
48957	44447	33801	31487	29941	26993
1167	1690	2265	13682	10246	9270
-	-	-	-	-	-
4868	3954	5243	8351	6390	1537
50	86	106	45	31	-
87752	82551	73695	66693	56239	50115
29174	28903	28327	28325	26325	23225
6345	5443	4819	3982	3327	2912
-	-	-	-	-	-
52233	48205	40549	34386	26587	23978
87752	82551	73695	66693	56239	50115

1996-97	1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
5614	6141	6058	3587	3474	3567
83.25	85.30	83.99	84.66	87.43	90.18
534	509	478	206	152	228
12119	11984	12145	12449	12952	13015

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

			2000-2001	1999-2000
क	ऊर्जा की बिक्री	$	12766	12163
ख	मूल्यह्रास के बदले पेशगी		1338	1406
ग	विविध आय	#	7881	2026
घ	**कुल आय (क) - (ख) + (ग)**		**19309**	**12783**
च	उत्पादन व अन्य खर्चें		7583	2076
छ	**सकल मार्जिन (घ) - (च)**		**11726**	**10707**
ज	मूल्यह्रास		2387	2198
झ	**सकल लाभ (छ) - (ज)**		**9339**	**8509**
ट	ब्याज और वित्तीय प्रभार		4868	4497
ठ	**शुद्ध लाभ (झ) - (ट)**		**4471**	**4012**
ड	कर		37	-
ढ	**कर पश्चात शुद्ध लाभ (ठ) - (ड)**		**4434**	**4012**
त	**जुटाए गए आंतरिक संसाधन (ज) + (ढ) + (ख)**		**8159**	**7616**
थ	प्राधिकृत पूंजी		70000	50000
द	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	*	51882	44462
ध	आरक्षित व अधिशेष		21391	16906
न	ऋण निधि		56431	55837
प	मूल्यह्रास के बदले अग्रिम तौर पर पेशगी के रूप में प्राप्त आय (ककघ)		5199	3861
फ	सकल स्थिर परिसंपत्तियां		78927	77527
ब	मूल्यह्रास		12801	10290
भ	**शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां (फ) - (ब)**		**66126**	**67237**
म	चालू पूंजीगत कार्य		37108	27686
य	निर्माण स्टोर व पेशगियां		6130	5115
र	निवेश		6799	
ल	कार्यकारी पूंजी		18642	21009
व	बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक विविध खर्च		98	19
कक	**नियोजित सकल पूंजी (भ)+(म)+(य)+(र)+(ल)**		**134805**	**121047**
कख	**शुद्ध मूल्य (द)+(ध)+(प)-(व)**		**78374**	**65210**
कग	विद्युत उत्पादन, प्रशासन व बिजली की खरीद के अनुसार उपयोग की गई इन्वेंटरी		71	60
कघ	**मूल्य संवर्धन (क)-(ख)-(कग)**		**11357**	**10697**

$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार तथा संदेहास्पद देनदारियों के लिए प्रावधान सहित।

* शेयर डिपॉजिट और इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि सहित।

ठेकों के लिए प्राप्तियां शामिल हैं।

अनुपात

	2000-2001	1999-2000
1. सकल नियोजित पूंजी पर आय (झ)/(कक)	6.93%	7.03%
2. शुद्ध मूल्य पर आय (ढ)/ (कख)	5.66%	6.15%
3. सकल नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध बिक्री (क)-(ख)/(कक)	8.48%	8.89%
4. शुद्ध बिक्री के लिए संवर्धित मूल्य (कघ)/ [(क)-(ख)]	99.38%	99.44%
5. इक्विटी अनुपात के लिए देनदारी मूल्य (न)/ [(द)+(ध)+(प)]	0.72	0.86
6. शुद्ध बिक्री की तुलना में शुद्ध लाभ (ढ)/ [(क)-(ख)]	38.80%	37.30%

(मिलियन रुपए)

1998-1999	1997-1998	1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993	1991-1992
13094	11235	5344	5091	4805	2087	1552	2306
1150	1305	-	-	-	-	-	-
391	44	217	20	16	22	53	257
12335	**9974**	**5561**	**5111**	**4821**	**2109**	**1605**	**2563**
2343	1483	750	781	1107	395	361	892
9992	**8491**	**4811**	**4330**	**3714**	**1714**	**1244**	**1671**
2152	1140	1111	1029	365	230	226	214
7840	**7351**	**3700**	**3301**	**3349**	**1484**	**1018**	**1457**
4787	4357	2633	2527	2412	779	603	964
3053	**2994**	**1067**	**774**	**937**	**705**	**415**	**493**
-	-	-	-	-	-	-	-
3053	**2994**	**1067**	**774**	**937**	**705**	**415**	**493**
6355	**5439**	**2178**	**1803**	**1302**	**935**	**641**	**707**
50000	35000	35000	25000	25000	25000	25000	25000
38250	33930	29174	28903	28327	28325	26325	23225
12721	9486	6345	5443	4819	3982	3327	2912
53077	54922	52233	48205	40549	34386	26587	23978
2455	1305	-	-	-	-	-	-
70904	69036	38938	37275	35978	16040	12293	14832
8111	5986	6228	4901	3698	2912	2662	2517
62793	**63050**	**32710**	**32374**	**32280**	**13128**	**9631**	**12315**
25760	20731	48957	44447	33801	31487	29941	26993
3228	3320	1167	1690	2265	13682	10246	9270
14718	12525	4868	3954	5243	8351	6390	1537
4	17	50	86	106	45	31	-
106499	**99626**	**87702**	**82465**	**73589**	**66648**	**56208**	**50115**
53422	**44704**	**35469**	**34260**	**33040**	**32262**	**29621**	**26137**
133	60	48	13	37	18	18	412
11811	**9870**	**5296**	**5078**	**4744**	**2044**	**1506**	**1865**
7.36%	7.38%	4.22%	4.00%	4.55%	2.23%	1.81%	2.19%
5.71%	6.70%	3.01%	2.26%	2.84%	2.19%	1.40%	1.89%
11.22%	9.97%	6.09%	6.17%	6.53%	3.13%	2.76%	4.60%
98.89%	99.40%	99.10%	99.74%	98.73%	97.94%	97.04%	80.88%
0.99	1.23	1.47	1.40	1.22	1.06	0.90	0.92
25.56%	30.15%	19.97%	15.20%	19.50%	33.78%	26.74%	21.38%

300 मेगावाट चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II, हिमाचल प्रदेश (निर्माणाधीन)

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयर धारकों,

एन.एच.पी.सी. के निदेशकों तथा कर्मचारियों की ओर से कंपनी की 25वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, जो पहले स्थगित हो गई थी। कंपनी कार्य विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप संशोधित निदेशकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2000-2001 के लिए आपकी कंपनी के वार्षिक लेखे, जो पहले से ही आपके पास है, मैं आपकी अनुमति से इन्हें पढ़ा गया समझूंगा।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2000-2001 के दौरान हमारे संचालित पावर स्टेशनों का कार्य-निष्पादन गत वर्ष 91.05 प्रतिशत के मुकाबले 92.09 प्रतिशत के उच्च औसत उपलब्धता फैक्टर के साथ 'उत्कृष्ट' रहा। इन संयंत्रों से 9400 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के मुकाबले उड़ी व टनकपुर परियोजना के 810.53 मिलियन यूनिट परिकल्पित बिजली उत्पादन सहित 9584.46 मिलियन यूनिट रहा। निगम ने भूटान में 45 मेगावाट की कुरिचू जल विद्युत परियोजना की यूनिट नं 1, 2 और 3 निर्धारित समय से पहले चालू कर दी हैं। निगम ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में कालपोंग परियोजना (5.25 मेगावाट) की सभी तीन यूनिटें भी निर्धारित समय से 15 महीने पहले चालू कर दी गई हैं। इस परियोजना का कार्य निगम ने डिपॉजिट कार्य आधार पर प्रारंभ किया था।

आपके निगम का वित्तीय कार्य-निष्पादन लगातार इस वर्ष में भी ऊर्ध्वगामी और बिक्री कारोबार गतवर्ष के 12163 मिलियन रुपये की तुलना में इस वर्ष 12766 मिलियन रुपये रहा। पिछले वर्ष के 4012 मिलियन रुपये के लाभ की तुलना में इस वर्ष 4434 मिलियन रुपये शुद्ध लाभ रहा। आपके निदेशकों ने 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ, गतवर्ष 1999-2000 के 150 मिलियन रुपये के मुकाबले इस वर्ष 300 मिलियन रुपये लाभांश देने की सिफारिश की है।

जैसा कि मैंने पिछली वार्षिक साधारण बैठक में आपको आश्वस्त किया था, निगम ने अपनी बकाया देयताओं की वसूली के लिए सभी संभव कदम उठाए और सतत ठोस प्रयासों के कारण बकाया देयताएं गतवर्ष के 17450 मिलियन रुपये के मुकाबले कम होकर 7610 मिलियन रुपये रह गई हैं। यह उपलब्धि विभिन्न लाभभोगियों से 15583 मिलियन रुपये की वसूली करके प्राप्त की गई। औसत बकाया गत वर्ष के 18 महीनों की तुलना में घटकर 7.4 महीने रह गई है। वर्तमान वर्ष के दौरान जम्मू व कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों ने एन.एच.पी.सी. की बकाया देयताओं के लिए एन.एच.पी.सी. के पक्ष में 10573 मिलियन रुपये की राशि के बांड जारी कर दिए हैं।

माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री सुरेश पी. प्रभु, देवरूख-महाराष्ट्र में एन.एच.पी.सी. कार्यालय का उद्घाटन करते हुए

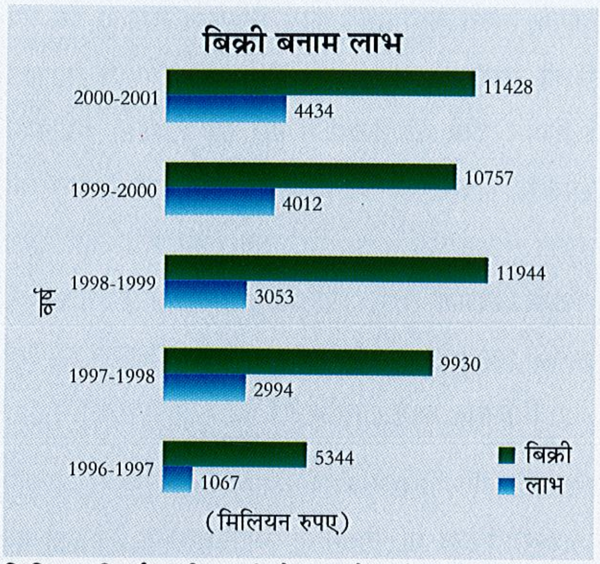

विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति कमोबेश संतोषजनक रही है। धौलीगंगा, चमेरा चरण-II, तीस्ता-V जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकांश कार्य निर्धारित कार्यक्रम से आगे प्रगति पर हैं और मुझे यकीन है कि ये परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले पूरी हो जाएंगी।

मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अन्वेषण के कार्यों की प्रगति उत्कृष्ट रही है। आपका निगम देशभर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगातार सफल रहा है। आपके निगम को महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में बाव- I, बाव- II और देवदे परियोजनाओं के पुष्टिकारक अन्वेषण कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इन परियोजनाओं की संयुक्त संस्थापित क्षमता 61 मेगावाट है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार असंतुलित हाइड्रो-थर्मल मिश्रण के बारे में लगातार विचार कर रही है और सरकार बिजली आपूर्ति और बिजली प्रणाली की गुणवत्ता व विश्वसनीयता को सुधारने के लिए प्रणाली में जल विद्युत के हिस्से को सुधारने के लिए ईमानदारी से कदम उठा रही है। यह आभास आगे आने वाले वर्षों में आपकी कंपनी के विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। सरकार की नीति और कार्यक्रमों से तालमेल बैठाते हुए निगम ने नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के विकास को पूरा करने और नई स्कीमों को प्रारंभ करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। जैसा कि गतवर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था, जम्मू व कश्मीर में एन.एच.पी.सी. को सौंपने के

5.25 मेगावाट कालपोंग जल विद्युत परियोजना कॉम्पलेक्स-अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

लिए जिन सात परियोजनाओं पर सहमति हुई थी, उनमें से निगम ने चार परियोजनाएं-पाकल दुल (1000 मेगावाट), बरसर (1020 मेगावाट), उड़ी-II (280 मेगावाट) और सेवा-II (120 मेगावाट) जम्मू व कश्मीर सरकार से ले ली हैं। शेष तीन परियोजनाएं, जिनमें किशनगंगा (330 मेगावाट), निम्मो-बाज़गो (30 मेगावाट) और चुटक (18 मेगावाट) हैं, को हस्तांतरित कराने का कार्य प्रगति पर हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 231 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-III का निष्पादन करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निगम ने 900 मेगावाट की पुरूलिया पम्प स्टोरेज स्कीम के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित करने के लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निगम ने अरूणाचल प्रदेश में कामबांग और सिप्पी नामक लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके अलावा गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने 300 किलोवाट क्षमता की छत्तीसगढ़ में तत्तापानी जियो-थर्मल फील्ड्स पायलट पावर परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह संतोष का विषय है कि आपका निगम सभी प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विश्वास और भरोसा लगातार बनाये हुए है। वर्ष के दौरान निगम ने 3328.7 मिलियन रुपए का आवधिक ऋण जुटाया है। जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने भी 25000 मिलियन रुपये के ऋण-क्रम (लाइन ऑफ क्रेडिट) को मंजूरी दे दी है। देश में एल.आई.सी. की ओर से किसी भी निगम के लिए स्वीकृत किया गया यह ऋण-क्रम (लाइन ऑफ क्रेडिट) अब तक का सबसे बड़ा ऋण है। निगम ने वर्ष के दौरान 4078.4 मिलियन रुपये के बॉण्ड्स और आवधिक-ऋण का पुनर्भुगतान देय तिथि से पहले ही कर दिया है।

आपके निगम ने कामगारों की शीर्ष यूनियनों के साथ दिनांक 01.01.1997 से संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निगम को वर्ष 2000-01 में निष्पादन के लिए समझौता-ज्ञापन के मानकों के अनुसार लगातार छठे वर्ष तदर्थ 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की गई है।

श्री ए.के. बसु, सचिव (विद्युत) और श्री योगेन्द्र प्रसाद, सी.एम.डी., एन.एच.पी.सी. वर्ष 2001-2002 के समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

मैं, निदेशक मंडल की ओर से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, राज्य और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग के साथ-साथ अन्य उन सभी के सहयोग के लिए, जिनका यहां विशेषतय: उल्लेख नहीं हो सका है, आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, एन.एच.पी.सी. के प्रति विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा निवेशकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कठिन वित्तीय

समस्याओं के बावजूद हमारे पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोगी राज्यों द्वारा उपभोगित बिजली के लिए, उनके द्वारा अधिकतम भुगतान करने के प्रयासों की भी मैं निगम की ओर से सराहना करना चाहूँगा।

मैं, इस अवसर पर एन.एच.पी.सी. के सभी स्तर के कर्मचारियों के लगन व समर्पण की भावना तथा अत्यधिक कठिन व प्रतिकूल परिस्थितियों और अपने परिवारों से मीलों दूर रहकर किए जा रहे उनके उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा।

मैं, निदेशक-मंडल के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके सक्रिय सहयोग से निगम नई ऊंचाइयों और कार्य-निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ रहा।

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक: 29.10.2001

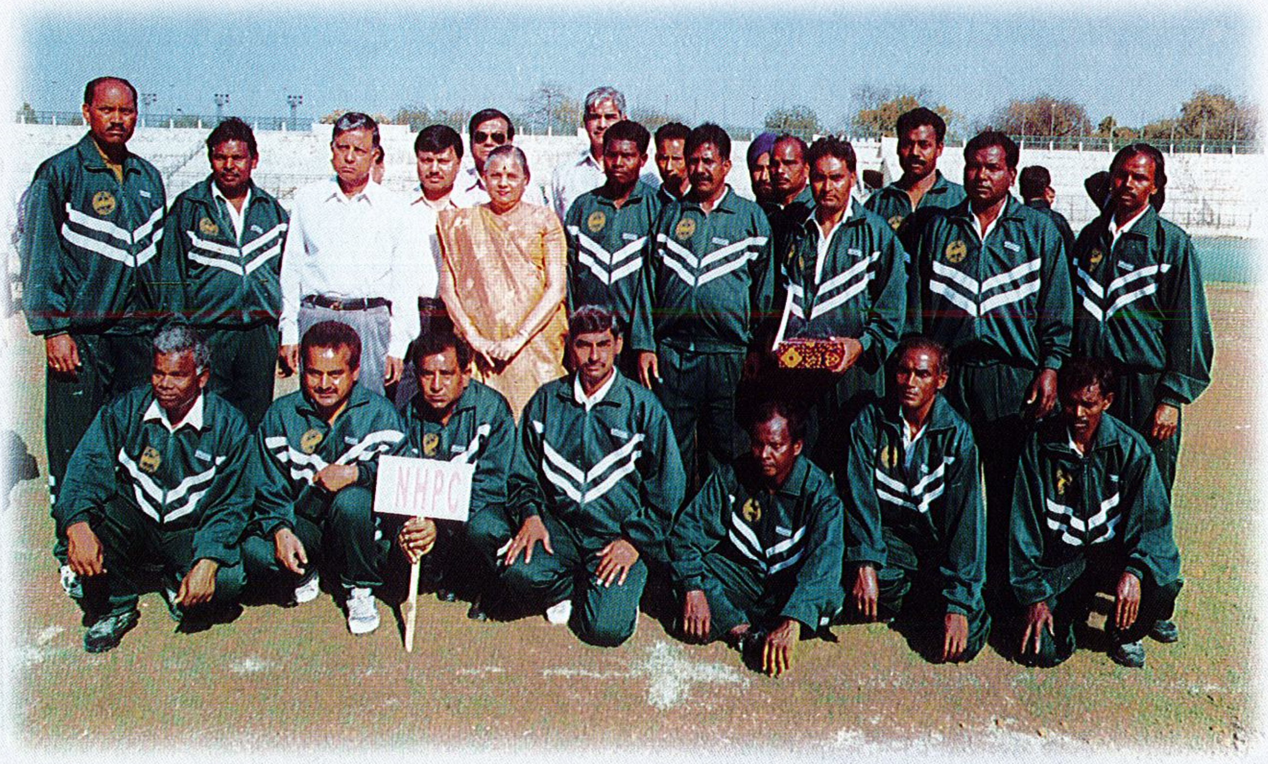

माननीया केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीमती जयवंती महेता, तृतीय अंतर-केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम हॉकी टूर्नामेंट में एन.एच.पी.सी. टीम के साथ

सुबानसिरी बेसिन परियोजनाएं - (अरुणाचल प्रदेश में अन्वेषण कार्य प्रगति पर)

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.,

निदेशक मंडल को आपके समक्ष कंपनी की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखों की समीक्षा शामिल है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन

31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश तालिका-1 में नीचे दिया गया है।

2. टर्नओवर व लाभ

जैसा कि परिणामों से स्पष्ट होता है, वर्ष 2000-01 के दौरान कंपनी का टर्नओवर 12766 मिलियन रुपये था। मूल्यह्रास, ऋणों पर ब्याज, वित्तीय प्रभार व पूर्व अवधि समंजन के लिए व्यवस्था करने के बाद निगम को पिछले वर्ष के 4012 मिलियन रुपये की तुलना में 4434 मिलियन रुपये का कर के बाद शुद्ध लाभ हुआ। मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 459 मिलियन रुपये या लगभग 11.44% अधिक रहा।

3. प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2000-01 के लिए 300 मिलियन रुपये के एकमुश्त लाभांश की सिफारिश की है, बशर्ते कि शेयरधारकों की आगामी बैठक में इसे अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

4. राजस्व वसूली

वर्ष 2000-01 के दौरान निगम ने लाभभोक्ताओं को बेची गई बिजली के लिए 15583 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त की, जिसमें सीपीए द्वारा प्राप्त धनराशि व अधिभार शामिल है। वसूली के पश्चात् मूल देयताओं में पिछले वर्ष के 18 महीनों की औसत बिलिंग के 17450 मिलियन रुपए की तुलना में 7610 मिलियन रुपए (7.4 महीनों के औसत

तालिका-1 वित्तीय परिणाम

(मिलियन रुपये)

	2000-01	1999-2000
विद्युत की बिक्री	12766	12163
मूल्यह्रास, ब्याज व कर से पूर्व लाभ	11726	10707
मूल्यह्रास	2387	2198
मूल्यह्रास के बाद तथा ब्याज व कर से पूर्व लाभ	9339	8509
ब्याज लागत	4868	4497
मूल्यह्रास व ब्याज के बाद परंतु कर से पूर्व लाभ	4471	4012
कर	37	-
मूल्यह्रास, ब्याज व कर के बाद लाभ	4434	4012
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	8712	4885
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	13146	8897
विनियोजन :		
बॉण्ड्स रिडेम्पशन रिजर्व से कुल प्राप्ति	2422	-
जनरल रिजर्व में हस्तांतरित	11100	-
प्रस्तावित लाभांश	300	150
आयकर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	31	35
आरक्षित तथा अधिशेष में लिया गया शेष लाभ	4135	8712

बिलिंग) की कमी आई है। उपरोक्त के साथ ही निगम ने जुलाई, 2001 तक 14046.46 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त की जिसमें जम्मू-कश्मीर, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश से बकाया देयताओं के लिए समझौते की तुलना में 10573 मिलियन रुपए कीमत के बॉण्ड शामिल हैं।

5. कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

क. संचालित परियोजनाएं

वर्ष के दौरान निगम की संचालित परियोजनाओं में 9400 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 8773.93 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। उत्पादन में कमी मुख्यत: बैरा स्यूल, सलाल और उड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी के कम बहाव के कारण आई है। कम बहाव तथा ग्रिड बाधाओं के कारण परिलक्षित विद्युत उत्पादन 810.53 मिलियन यूनिट था। परिलक्षित विद्युत उत्पादन सहित कुल वास्तविक उत्पादन 9584.46 मिलियन यूनिट था, जो लक्ष्य से 184.45 मिलियन यूनिट अधिक है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संचालित सभी विद्युत उत्पादन यूनिटों में मशीन उपलब्धता 86.02% की तुलना में 92.09% रही थी।

6. निर्माणाधीन/स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति

निर्माणाधीन परियोजनाएं

390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, जम्मू व कश्मीर :

एच.आर.टी. कार्यों को छोड़कर परियोजना के सभी सिविल निर्माण कार्य पूरी प्रगति पर हैं और ये कार्य इस वर्ष तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। इलैक्ट्रो-मैकेनिकल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य दिसंबर, 2001 तक पूरे करने के लिए इन कार्यों की प्रगति भी संतोषजनक चल रही है। पावर हाउस की तीनों यूनिटों के उत्थापन कार्य पूरे हो गए हैं। हेडरेस टनल की खुदाई का कार्य 78.95% तक

तालिका-2.पावर स्टेशनों का कार्य-निष्पादन

क्रम सं.	पावर स्टेशन	31.3.2001 के अनुसार प्रभावी क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन मिलियन यूनिट में					
			2000-2001			1999-2000	2001-2002 जुलाई, 2001 तक	
			लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	लक्ष्य उपलब्धता प्रतिशत में	वास्तविक (मि.यू.)	लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बैरा स्यूल	180.00	750.00	649.28	86.57	425.57	425	300.55
2.	लोकतक	105.00	450.00	551.14	122.48	506.75	144	167.56
3.	सलाल चरण-। व ॥	690.00	3100.00	2939.26	94.81	3249.14	1485	1464.64
4.	टनकपुर	94.20	440.00	440.10@	100.03	408.88	163	163.87
5.	चमेरा चरण-।	540.00	1785.00	2111.63	118.30	2125.73	855	1039.98
6.	उड़ी	480.00	2575.00	2587.38@	100.48	1948.93	1332	952.30
7.	रंगित	60.00	300.00	305.67	101.89	*25.74	136	133.04
	कुल	2149.20	9400.00	9584.46	-	8690.74	4540	4221.94

* संचालित होने की तारीख के संदर्भ में।

@ परिलक्षित विद्युत उत्पादन सहित।

390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना-जम्मू व कश्मीर (कंक्रीट डैम)

पूरा हो गया है। इस परियोजना के दिसम्बर, 2003 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

280 मेगावाट धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (उत्तरांचल)

यह परियोजना जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल को-आपरेशन की वित्तीय सहायता के द्वारा निष्पादित की जा रही है। डाइवर्शन टनल का कार्य पूरा हो गया था और दिनांक 23.4.2001 को नदी को मोड़ दिया

280 मेगावाट धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना-उत्तरांचल (निर्माण कार्य प्रगति पर)

गया है। परियोजना के प्रमुख हिस्सों के निष्पादन का कार्य पूरी प्रगति पर है। वेंटिलेशन टनल की खुदाई और पावर हाउस तक जाने के लिए मुख्य पहुँच टनल भी समय से पहले पूरी कर ली गई है। एडिट्स निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद, एच.आर.टी. की खुदाई के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है। पावर हाउस में क्रेन बीम स्तर तक खुदाई पूरी हो चुकी है और क्रेन बीम की कॉसिटिंग का कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना को मार्च, 2005 में संचालित करने का कार्यक्रम है!

710 मेगावाट कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (बिहार) :

चूंकि पिछली रिपोर्ट में कुछ मंजूरियाँ लेनी हैं, इसलिए परियोजना को शुरू नहीं किया गया है।

5.25 मेगावाट कालपोंग जल विद्युत परियोजना (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) :

कालपोंग जल विद्युत परियोजना की पहली यूनिट निर्धारित कार्यक्रम से 15 महीने पहले ही यानी 1.7.2001

5.25 मेगावाट कालपोंग जल विद्युत परियोजना-अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (पावर हाउस का आंतरिक दृश्य)

को संचालित कर दी गई थी। शेष दो यूनिटें भी निर्धारित समय से पूर्व क्रमशः दिनांक 30.7.2001 और 15.8.2001 को संचालित की दी गई हैं।

45 मेगावाट कुरिचू जल विद्युत परियोजना (भूटान) :

एन.एच.पी.सी. द्वारा कुरिचू जल विद्युत परियोजना को समय से पूर्व संचालित करने के संबंध में की गई

सितंबर, 2001 में चालू कर दी जाएगी। एन.एच.पी.सी. ने 40 करोड़ रुपए की स्थायी लागत पर इस परियोजना की चौथी अतिरिक्त यूनिट का कार्य भी सौंप दिया है और इस परियोजना को दिसम्बर, 2002 के लक्ष्य के स्थान पर जून, 2002 में संचालित करने की संभावना से परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कुरिचू परियोजना से भारत को बिजली देने के लिए 45 करोड़ रुपए की

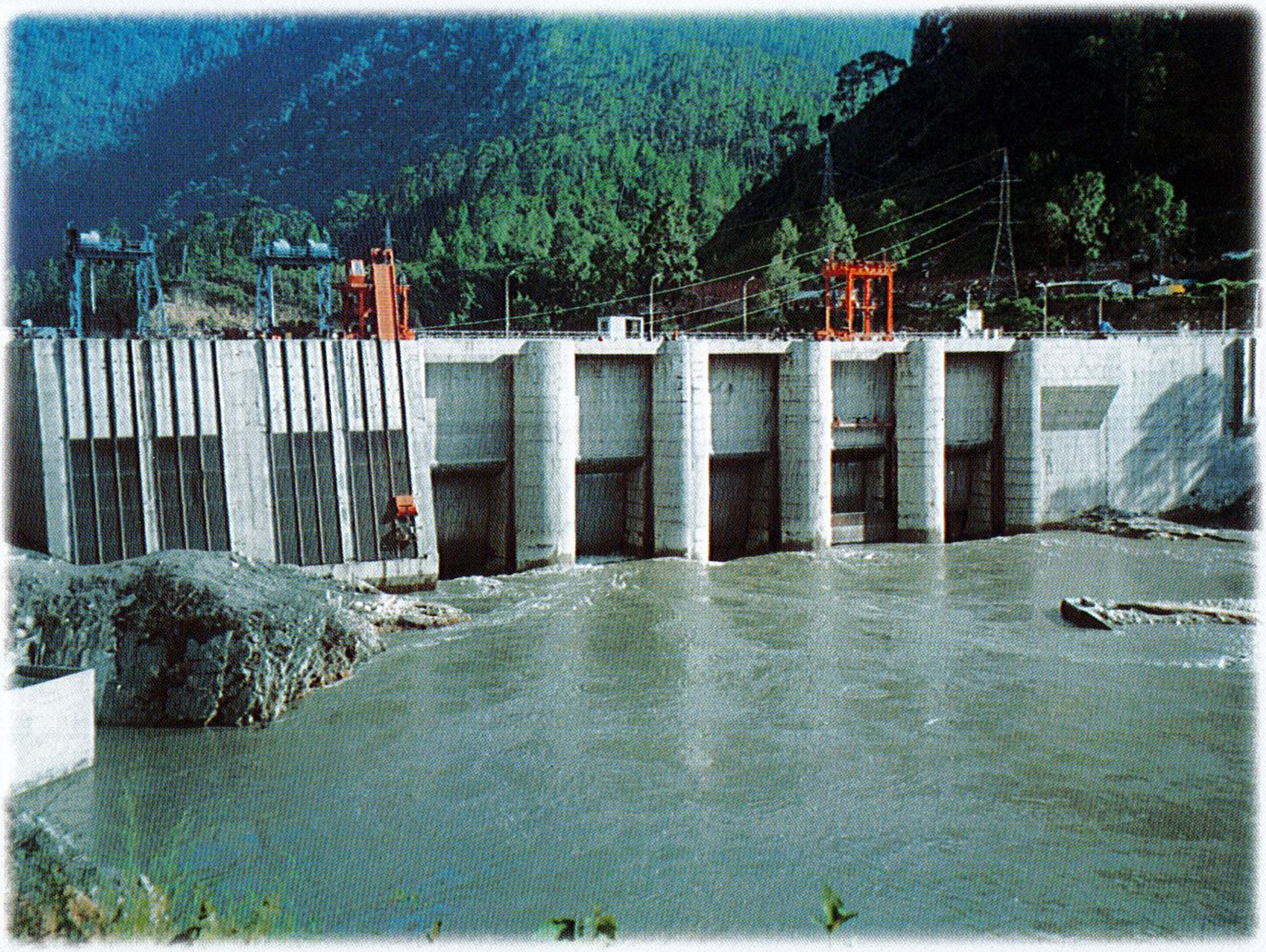

कुरिचू जल विद्युत परियोजना-भूटान (कंक्रीट डैम)

वचनबद्धता के अनुरूप, यूनिट-3 निर्धारित समय से 3-1/2 महीने पूर्व दिनांक 13.4.2001 को संचालित कर दी गई थी। यूनिट-3 और यूनिट-2 को भारतीय ग्रिड के साथ क्रमशः दिनांक 14.8.2001 और 15.8.2001 को सिंक्रोनाइज़ कर दिया गया है। यूनिट-1 का कार्य अग्रिम स्थिति में है और यह यूनिट

लागत पर गेल्फू-टिंटीबी-नंगलम ट्रांसमिशन लाइन का कार्य भी निर्धारित समय से पूर्व ही पूरा कर लिया गया है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि जल विद्युत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि खराब भू-वैज्ञानिक और कठिन क्षेत्रीय परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी परियोजना को निर्धारित समय से पूर्व पूरा किया जा रहा है।

300 मेगावाट चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण- II (हिमाचल प्रदेश) :

नदी मोड़ने का कार्य निर्धारित समय से एक वर्ष पहले ही दिनांक 5.1.2001 को पूरा कर लिया गया है। खुदाई पूरी होने के बाद लेवल कोर्स कंक्रीटिंग सहित बांध-नींव ग्राउटिंग पूरी कर ली गई है। स्टिलिंग बेसिन की खुदाई, बांध का डाउनस्ट्रीम कार्य प्रगति पर है।

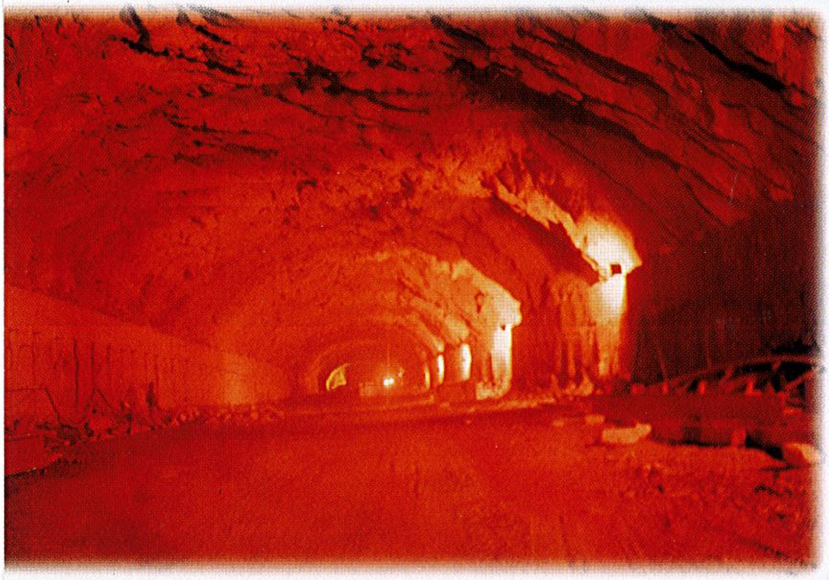

300 मेगावाट चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II, हिमाचल प्रदेश (हेडरेस टनल)

दिनांक 5 मई, 2001 को एच.आर.टी. के अपर क्षेत्र में 3.3 किलोमीटर तक का रास्ता आर-पार अर्थात प्रकाशमान कर दिया गया है। एच.आर.टी. की कुल खुदाई में से 88% भाग की खुदाई निर्धारित समय से लगभग 7 महीने पहले ही पूरी कर ली गई है। पावर हाउस की खुदाई और पावर हाउस क्षेत्र में खुदाई संबंधी अन्य समस्त कार्य भी निर्धारित समय से आगे चल रहे हैं। टी.आर.टी. खुदाई का 83.5% भाग समय से पूर्व ही पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना को मई, 2004 में पूरी हो जाने की संभावना है, लेकिन इस परियोजना को दिसंबर, 2003 से पहले ही संचालित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

510 मेगावाट तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना (सिक्किम) :

यह परियोजना पूर्वी सिक्किम में तीस्ता नदी पर बनाई जा रही है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए सिक्किम सरकार के साथ दिनांक 2.8.2000 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। बांध, एच.आर.टी. और पावर हाउस जैसे प्रमुख सिविल निर्माण कार्यों के लिए सभी ठेके दे दिए गए हैं। एच.आर.टी. के लिए एडिट्स की खुदाई, पावर हाउस तक के लिए मुख्य पहुंच टनल और वेंटिलेश्न टनल का कार्य शुरू कर दिया गया है। डाइवर्शन टनल के निर्माण की प्रगति संतोषजनक चल रही है। डीटी- II में हेडिंग खुदाई का कार्य निर्धारित समय से तीन महीने पहले ही पूरा कर लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीटी- I में भी हेडिंग खुदाई समय से एक माह पूर्व ही अगस्त, 2001 में पूरी कर ली गई है। इस परियोजना के निर्माण के लिए ली गई 147.423 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में 250 हेक्टेयर भूमि पर सिक्किम वन विभाग के साथ एन.एच.पी.सी. की वित्तीय सहायता से क्षतिपूरक वन रोपण कार्य शुरु कर दिया गया है। परियोजना क्षेत्र में बुनियादी विकास कार्य प्रगति पर हैं। सरकार की मंजूरी के अनुसार इस परियोजना को फरवरी, 2007 तक संचालित करने का कार्यक्रम है।

510 मेगावाट तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण-V, सिक्किम (डाइवर्शन टनल के इनलेट पर ड्रिलिंग आपरेशन)

90 मेगावाट लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (मणिपुर) :

मणिपुर राज्य में विपरीत नियम व कानून व्यवस्था के प्रचलन और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति को देखते हुए इस परियोजना का कार्य बंद पड़ा है। भारत सरकार ने अक्तूबर, 2000 में सी.आर.पी.एफ. की एक बटालियन को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। परियोजना स्थल पर आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सी.आर.पी.एफ. की बटालियन परियोजना स्थलों पर नहीं रह सकी। ये आवास मणिपुर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने थे। इसके अतिरिक्त, एन.एच.पी.सी. द्वारा बुनियादी विकास कार्य शुरू किए जाने से पहले भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

800 मेगावाट पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II (हिमाचल प्रदेश) :

एन.एच.पी.सी. ने परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रिकार्ड समय में दिनांक 5.10.2000

800 मेगावाट पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II, हिमाचल प्रदेश (बांध स्थल)

को प्रस्तुत कर दी थी। सीईए ने दिनांक 3.1.2001 को तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी थी। भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं और कार्य प्रक्रिया अग्रिम स्थिति में है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना भी प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना के विभिन्न स्थलों पर सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है और ये सभी कार्य प्रगति पर हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सभी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं।

7. नई परियोजनाओं / योजनाओं की स्थिति

(i) सुबानसिरी बेसिन परियोजनाएं, अरूणाचल प्रदेश :

(सुबानसिरी (अपर)-2500 मेगावाट, सुबानसिरी (मिडिल)-2000 मेगावाट, सुबानसिरी (लोअर)-2000 मेगावाट)

निगम ने सुबानसिरी (लोअर) परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो कि फिलहाल जांचाधीन है। इस बेसिन में अन्य दो परियोजनाओं पर अन्वेषण के कार्य की प्रगति संतोषजनक चल रही है।

सियांग बेसिन परियोजनाएं, अरूणाचल प्रदेश

सियांग (अपर)-11000 मेगावाट, सियांग (मिडिल)-700 मेगावाट, सियांग (लोअर)-1700 मेगावाट

सुबानसिरी बेसिन परियोजनाएं-अरूणाचल प्रदेश (अन्वेषण कार्य प्रगति पर)

सियांग बेसिन की सभी तीनों परियोजनाओं में सर्वेक्षण व अन्वेषण कार्यों की प्रगति कार्यक्रमानुसार हो रही है।

(ii) जम्मू व कश्मीर में नई परियोजनाएं

जम्मू व कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के द्वारा निगम को 2798 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 7 परियोजनाएं दी गई हैं। चार परियोजनाएं यथा पाकल दुल, बरसर, उड़ी-II और सेवा-II, प्रत्यक्षत: एन.एच.पी.सी. को सौंप दी गई हैं तथा शेष परियोजनाओं, यथा किशनगंगा, निम्मो बाज़गो और

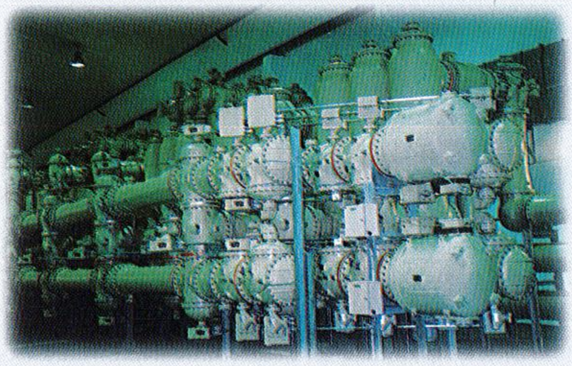

480 मेगावाट उड़ी परियोजना-जम्मू व कश्मीर (गैस इंसुलेटिड स्विच यार्ड)

चुटक को सौंपने/लेने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

निगम ने पाकल दुल, बरसर, उड़ी-II और सेवा-II जल विद्युत परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट, भाग-II से संबंधित अनुमान और स्थल के लिए मंजूरी संबंधी आवेदन पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। पाकल दुल, बरसर और सेवा-II जल विद्युत परियोजनाओं के लिए चरण-I से संबंधित स्थल के लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है। सेवा-II जल विद्युत परियोजना में बुनियादी विकास कार्य और भू-वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। एन.एच.पी.सी. ने किशनगंगा जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर, चरण-II से संबंधित अनुमान और स्थल के लिए मंज़ूरी संबंधी आवेदन पत्र (चरण-II) प्रस्तुत कर दिए हैं। निम्मो बाज़गो और चुटक जल विद्युत परियोजनाओं में भू-वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

(iii) हिमाचल प्रदेश में नई परियोजनाएं

520 मेगावाट पार्बती जल विद्युत परियोजना, चरण-III (हिमाचल प्रदेश)

सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। अन्य बुनियादी कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं।

231 मेगावाट चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-III (हिमाचल प्रदेश)

परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 5.7.2001 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एन.एच.पी.सी. ने परियोजना स्थल पर कार्यालय की स्थापना की ली है और परियोजना में स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है। परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

बाव जल विद्युत परियोजना-महाराष्ट्र

(iv) महाराष्ट्र में नई परियोजनाएं

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि निगम को अभी हाल ही में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 61 मेगावाट की संयुक्त संस्थापित क्षमता वाली बाव-I और बाव-II तथा देवदे परियोजनाओं के लिए पुष्टिकारक अन्वेषण कार्य मिले हैं।

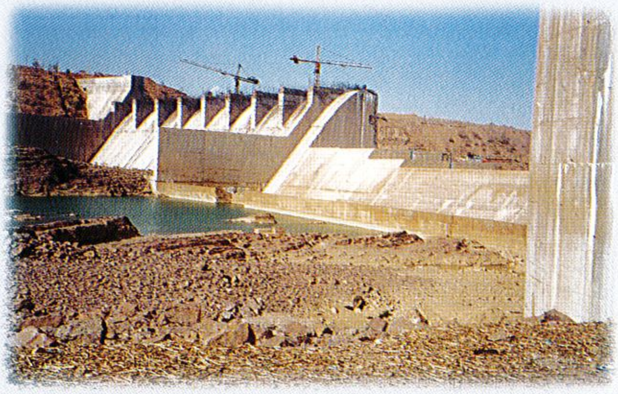

1000 मेगावाट इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना-मध्य प्रदेश (निर्माणाधीन बांध)

(v) पश्चिम बंगाल में नई परियोजनाएं

132 मेगावाट तीस्ता लो डैम चरण-III

168 मेगावाट तीस्ता लो डैम चरण-IV

परियोजना के चरण-III और IV के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता की स्थापना के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय को सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। चरण-II की कार्य गतिविधियों के लिए अनुमान भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

125 मेगावाट फरक्का जल विद्युत परियोजना

निगम ने सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पहले ही शुरू कर दिए हैं।

8. संयुक्त उद्यम

मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के तौर पर संस्थापित की गई एन.एच.डी.सी. कंपनी ने मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट) नामक दो परियोजनाएं अपने अधिकार में ले ली हैं। इन्दिरा सागर परियोजना का निर्माण कार्य अग्रिम स्थिति में है और इस परियोजना को वर्ष 2004-05 में संचालित करने का कार्यक्रम है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और एन.एच.पी.सी. द्वारा समान भागीदारी के साथ 900 मेगावाट की पुरूलिया पम्प स्टोरेज परियोजना के निष्पादन के लिए भी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राजस्व विश्लेषण 2000-2001

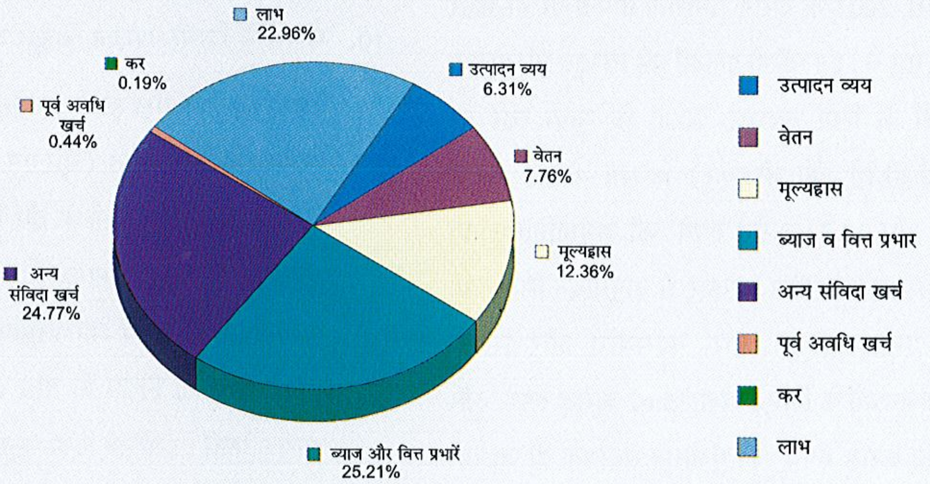

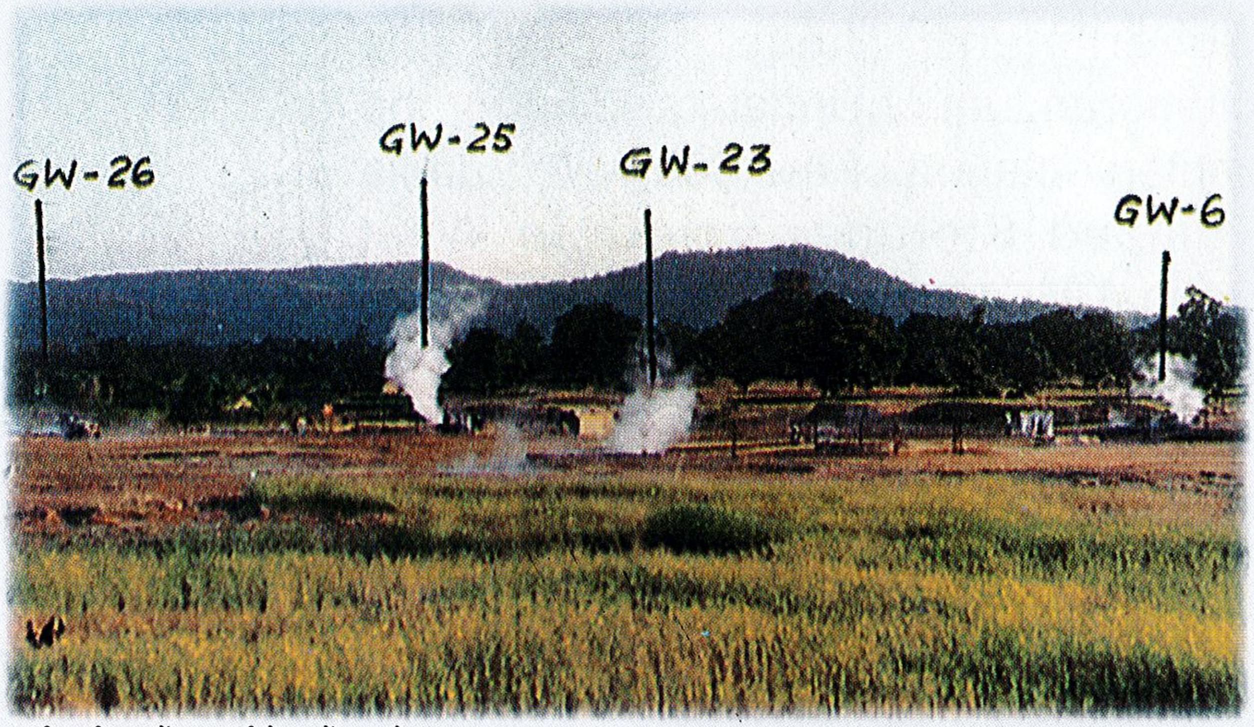

तत्तापानी, छत्तीसगढ़ में गरम पानी के कुओं का मनोरम दृश्य

9. लघु जल विद्युत परियोजनाएं

कामबांग (3x2 मेगावाट) तथा सिप्पी (2x2 मेगावाट) लघु जल विद्युत परियोजनाएं, अरूणाचल प्रदेश

अरूणाचल प्रदेश में कामबांग (3x2 मेगावाट) और सिप्पी (2x2 मेगावाट) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन और वित्त-व्यवस्था करने के संबंध में फरवरी, 2001 के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए नवम्बर, 2000 के मूल्य स्तर पर (आई.डी.सी. को छोड़कर) क्रमश: 41.72 करोड़ रुपये और 38.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अरूणाचल प्रदेश सरकार से अनुमोदन मिल गया था। एम.एन.ई.एस. द्वारा कामबांग और सिप्पी परियोजनाओं के लिए क्रमश:15.67 करोड़ रुपये और 18.00 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता दी जा रही है और शेष फंड की व्यवस्था निगम को करनी होगी। निगम द्वारा खर्च की गई राशि की वसूली राज्य सरकार से आपस में तय किए गए नियम व शर्तों के आधार पर की जाएगी। ये परियोजनाएं दो वर्षों के अंदर संचालित हो जाने की संभावना है। सिविल, इलैक्ट्रो-मैकेनिकल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों से संबंधित निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और कार्य प्रदान करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

10. भारत में जियो-थर्मल विद्युत का विकास

देश में जियो-थर्मल ऊर्जा का दोहन करने के लिए गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत (एम.एन.ई.एस.) मंत्रालय ने निगम को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। चूंकि इलैक्ट्रिक पावर का उत्पादन करने के लिए जियो-थर्मल परियोजनाओं का निर्माण करने से संबंधित जानकारी न तो निगम के पास है और न ही देश में अन्यत्र कहीं। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता/

ठेकेदार, यानि मैसर्स जियो-थर्मल एक्स. यू.एस.ए. की सेवाएं निम्न कार्यों के लिए किराए पर ली गईं हैं- i) देश में सभी जियो-थर्मल क्षेत्रों से संबंधित प्रकाशित अद्यतन डाटा की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए, ii) चार सबसे अधिक प्रमुख स्थलों के संबंध में पूर्व-सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए iii) डीप ड्रिलिंग सहित निरीक्षण एवं अन्वेषण करने और विद्युत उत्पादन के लिए एक उपयुक्त सम्भाव्यता का पता लगाने के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए।

इसके बाद, दो फेजों में विद्युत उत्पादन करने के लिए तत्तापानी जियो-थर्मल फील्ड्स, छत्तीसगढ़ का विकास करने के संबंध में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। फेज- I में 300 किलोवाट क्षमता का एक पायलट पावर प्लांट संस्थापित किया जाएगा और फेज- II में मेगावाट साइज के जियोथर्मल प्लांट के लिए सम्भाव्यता अध्ययन शुरू किए जाने हैं। पायलट प्लांट के लिए 4.6 करोड़ रुपए की राशि देने के संबंध में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अपने अनुमोदन की सूचना दे दी है।

विविध स्रोतों/बजट प्रस्तावों की मदद से पायलट प्लांट के आकलनों तथा मेगावाट आकार के पावर प्लांट के निष्पादन की तैयारी की जा रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में पायलट जियोथर्मल प्लांट के संस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

11. परामर्श

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने विभिन्न संगठनों के साथ अनेक परामर्शी कार्य शुरू किए हैं। मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट की महेश्वर परियोजना तथा हिमाचल प्रदेश में 300 मेगावाट की बासपा- II परियोजना को बढ़ावा देने के लिए आई.एफ.सी.आई. लि./आई.सी.आई.सी.आई. लि. और कंर्सोटियम ऑफ इण्डियन बैंकों ने निगम को 'लेंडर्स इंडिपेंडेंस इंजीनियर्स' के तौर पर अनुबंधित किया है। ये दोनों ही परियोजनाएं निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। निगम ने देश और विदेशों में जल विद्युत का विकास करने के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का मिल-जुल कर उपयोग करने के संबंध में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, निगम को कई परामर्शी कार्य भी दिए गए थे। जैसे एल्सटॉम-बी.एच.ई.एल. के प्रस्ताव का तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन, दामोदर घाटी निगम की मैथॉन जल विद्युत परियोजना की हाइडल यूनिट की रिफरबिशमेंट से संबंद्ध मुख्य परीक्षणों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करना, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास/नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लि. के लिए वित्त व प्रशासन के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर पैकेजों का वार्षिक

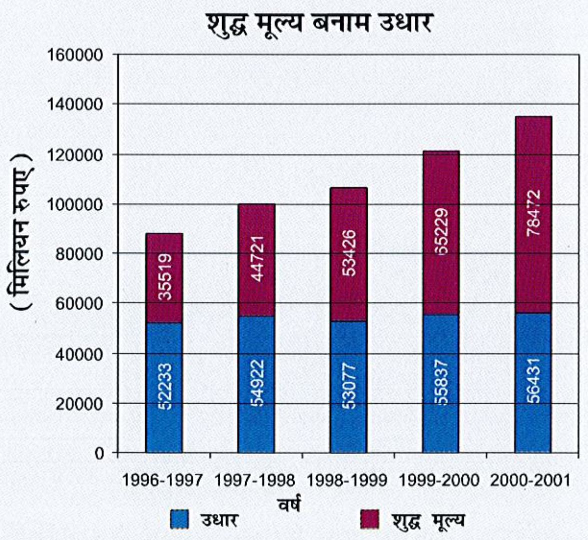

रख-रखाव। आपको यह जानकर खुशी होगी कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने नागालैंड सरकार के विद्युत विभाग के लिए तिजु-जुंगकी जल विद्युत परियोजना की पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने, डिपॉजिट कार्य के आधार पर 900 साल पुराने स्पिटुक मोनेस्ट्री, लेह की मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य तथा पश्चिम बंगाल विद्युत विभाग के लिए बक्रेश्वर बांध व जलाशय परियोजना लि. के निर्माण प्रबंधन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

12. पूंजीगत ढांचा

निगम की वर्तमान प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 70000 मिलियन रुपए है। दिनांक 31.3.2001 तक निगम की कुल प्रदत्त हिस्सा पूंजी 46145 मिलियन रुपए थी जिसे सितम्बर, 2001 में बढ़ाकर 51482.84 मिलियन रुपए कर दिया गया था।

13. बॉण्डस

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने बॉण्ड धारकों और अन्य संस्थानों की वचनबद्ध देयताओं को समय पर चुकता करने के लिए लगातार अच्छा रिकार्ड कायम रखा है। निगम ने अधिक लागत पर ऋण लेने के बदले कम लागत पर ऋण लेने संबंधी अपनी नीति को बनाए रखा है। इससे निगम को ब्याज का भुगतान करने में काफी बचत हुई है। निगम ने कैश क्रेडिट के साथ सामंजस्य अपनाकर कोषीय संबंधी कार्यों में भी सुधार किया है। इससे पिछले वर्ष की तुलना में 128.4 मिलियन रुपए की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त निगम ने चमेरा जल विद्युत विद्युत परियोजना, चरण-II के निष्पादन के लिए 12-15 वर्षों के लिए 11.5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की दर से 8000 मिलियन रुपए आवधिक ऋण का वित्तीय समापन पूरा कर

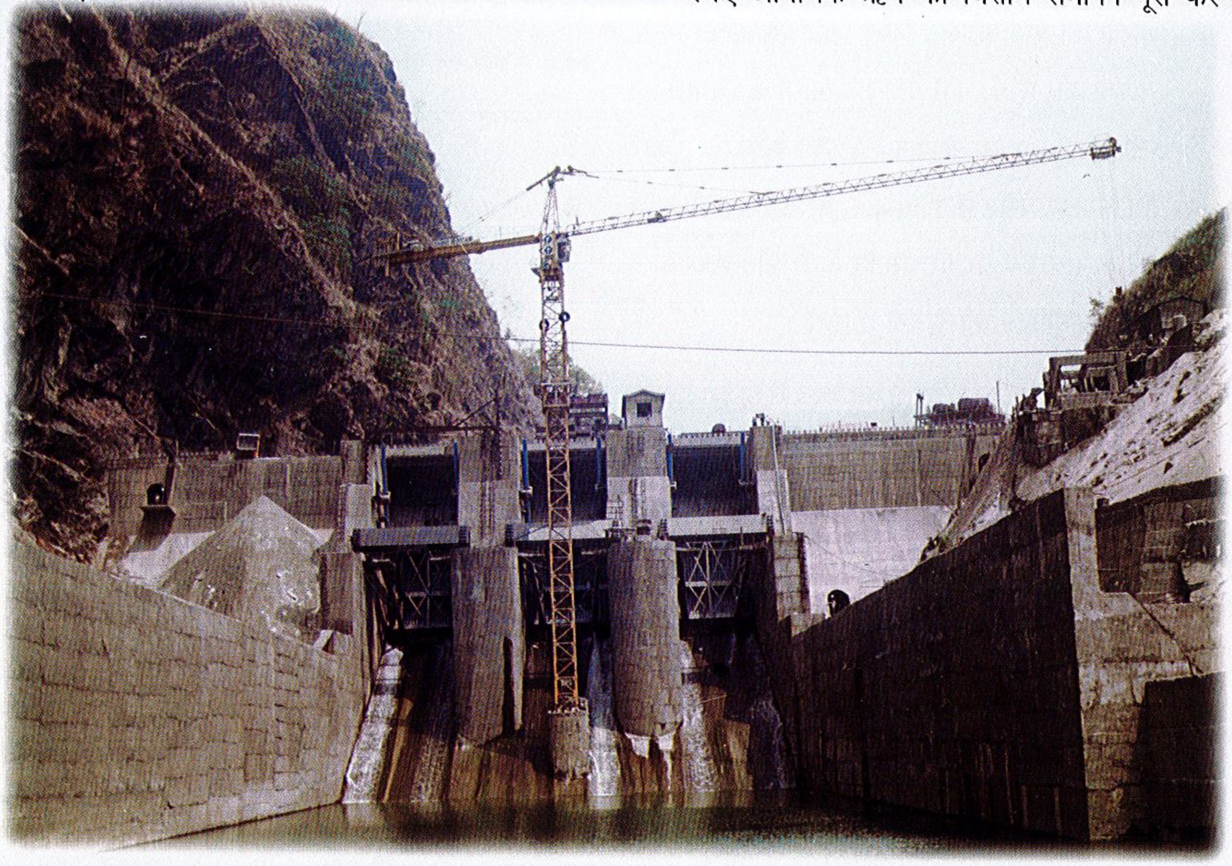

60 मेगावाट रंगित जल विद्युत परियोजना-सिक्किम (कंक्रीट डैम)

लिया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि निगम ने एल.आई.सी. से 17 वर्षों के लिए 25000 मिलियन रुपए के ऋण क्रम (लाइन ऑफ क्रेडिट) की मंजूरी प्राप्त कर ली है और यह ऋण क्रम एल.आई.सी. द्वारा देश में किसी भी निगम को दिया गया सबसे बड़ा ऋण क्रम है। वर्ष के दौरान 3328.7 मिलियन रुपए की राशि के आवधिक ऋणों का विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बैंकों को भुगतान कर दिया गया है और 4078.4 मिलियन रुपए की राशि के विविध सीरीज के बॉण्ड भी शोधित (रीडीम्ड) कर दिए गए हैं।

14. संचार व सूचना

निगम में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी को प्रमुखता के स्तर पर अपनाया जा रहा है। संचार सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से परियोजनाओं और निगम मुख्यालय के बीच 11 स्थलों पर वी.एस.ए.टी. नेटवर्क ओर 9 इनमारसेट शुरू किए गए थे। निगम मुख्यालय के कर्मचारियों के बीच सूचना प्रसार के लिए इन्ट्रानेट सिस्टम लगाया गया था और लैन के लिए इन्टरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सैटेलाइट लिंक के माध्यम से सी.पी.एस.यू.एन.ई.टी. नेटवर्क लगाने और क्रियान्वित करने का कार्य पूरा कर लिया गया था।

15. समझौता ज्ञापन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कार्य-निष्पादन के लिए भारत सरकार तथा एन.एच.पी.सी. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और निगम को लगातार छठे वर्ष भी उत्कृष्ट रेटिंग मिलने की सम्भावना है।

16. पर्यावरणीय वचनबद्धता

पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए एन.एच.पी.सी. द्वारा अपनी विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय इस दिशा में सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संरक्षण निगम की गुणवत्ता नीति का अभिन्न अंग है। योजना बनाने की अवस्था से ही पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाता है और परियोजनाओं के लागत अनुमानों में इस संबंध में वित्तीय प्रावधान किए जाते हैं। निर्माण अवस्था के दौरान अपनाए गए न्यूनीकरण उपायों की क्षमता को मान्य बनाने के लिए निर्माण पश्चात् पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। कार्यान्वयन के लिए आरम्भ की गई एन.एच.पी.सी. की सभी परियोजनाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है और निर्माण की योजना इस प्रकार बनाई गई है, जिससे पर्यावरण न्यूनतम रूप से प्रभावित हो और निर्माण कार्यों में प्रगति के साथ-साथ सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाएं। निगम ने आई.एस.ओ.-14001 प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अपना आवेदन भेजा है और ऊर्जा संरक्षण' तथा 'वेस्ट डिस्पोजल' पर कार्यात्मक प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव के लिए कार्यान्वयन शुरू का दिया है।

17. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन को एक मूल्यवान संपत्ति मानते हुए निगम में सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए उनके संबंद्ध कार्य क्षेत्रों में उनकी कार्य-कुशलता एवं दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उनके तकनीकी कौशल के विकास व उसे उन्नत करने के लिए निरन्तर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने विभिन्न इन हाउस कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं तथा विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए

सम्मेलनों/सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया है। बदलते हुए कार्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष के दौरान कार्यपालकों को सेमिनार, कांफ्रेंस और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भी भेजा गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने समझौता ज्ञापन में दिए अनुसार 7500 मानव दिवस के लक्ष्य की तुलना में 13275 मानव दिवस का लक्ष्य प्राप्त किया है।

18. स्टाफ कल्याण व औद्योगिक संबंध

पिछली रिपोर्ट के बाद से, निगम ने सुपरवाइजर कैडर से नीचे के स्तर के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.01.97 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए कर्मचारी यूनियन के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

19. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों की भर्ती के लिए आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

20. सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान 15 परियोजनाओं और मुख्यालय स्टाफ के बीच सतर्कता बोध में वृद्धि करने के अपने प्रयास जारी रखे। सतर्कता संबंधी सामग्री के प्रकाशन व वितरण के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर दो सतर्कता सेमिनारों के अलावा सतर्कता बोध संबंधी 9 कार्यशालाएं आयोजित की गई। विभिन्न परियोजनाओं/जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित सम्पर्क कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने क्रमशः अप्रैल, 2000 और नवम्बर, 2000 में सलाल जल विद्युत परियोजना/पार्वती जल विद्युत परियोजना में क्षेत्रीय स्तर के सेमिनार में भाग लिया। इसके अतिरिक्त परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा परियोजना के विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण व नियमित निरीक्षण कार्य किया गया। आपको यह जानकर भी हर्ष होगा कि अक्तूबर-नवम्बर, 2000 के दौरान सभी परियोजनाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया तथा सतर्कता खण्ड द्वारा किए गए प्रयासों की मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सराहना की गई। सतर्कता खण्ड द्वारा पहली बार 'चेतना' नामक पत्रिका प्रकाशित की गई।

21. राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा के गहन प्रयोग के लिए वास्तविक प्रयास किए गए और इसके लिए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी किए गए। परियोजनाओं व निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों तथा अहिंदीभाषी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों तथा परियोजनाओं को 'अक्षर सॉफ्टवेयर' उपलब्ध कराया गया। एन.एच.पी.सी. बेवसाइट का आरम्भ हिंदी में भी किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद द्वारा निगम मुख्यालय को लगातार तीसरी बार 'राजभाषा शील्ड' व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

22. सामाजिक कार्य

एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों द्वारा प्राकृतिक

आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान निगम ने गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में 10 मिलियन रुपए का अंशदान दिया, जिसमें निगम के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन शामिल है। निगम की महिला कल्याण संस्था ने निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं के आस पास के क्षेत्र में अनेक सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए।

23. खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

निगम द्वारा खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं और इसी संदर्भ में निगम ने नई दिल्ली में तृतीय अंतर-विद्युत क्षेत्र हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया। एन.एच.पी.सी. की टीमों ने पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित विविध टूर्नामेंटों में भी भाग लिया।

24. सहायक कंपनी-एन.एच.डी.सी. के लेखे

निगम ने अपनी सहायक कंपनी यथा नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि. (एन.एच.डी.सी.) के वर्ष 2000-01 के लिए इसके लेखे पूरे न होने के कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार इसके तुलनपत्र व लाभ हानि लेखे संलग्न न करने के लिए कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार को एक आवेदन भेजा है और इसके लिए इस शर्त पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है कि जैसे ही उपलब्ध हो सहायक कंपनी के लेखे सदस्यों को परिचालित कराए जाएं तदनुसार एन.एच.डी.सी. के लेखे जैसे ही प्राप्त होंगे सदस्यों के बीच परिचालित कराए जाएंगे। धारा 212 के अन्तर्गत ब्याज की आवश्यक विवरणी भी अनुबंध-V के तौर पर संलग्न की जाएगी।

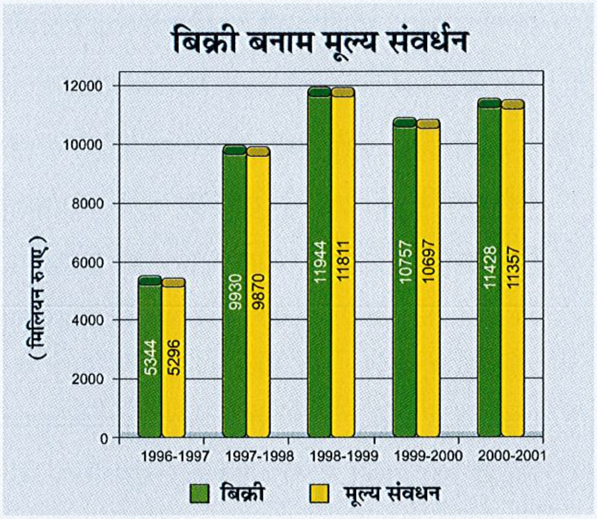

25. लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2000-2001 के लिए लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स के.के. घई एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, साहा गांगुली एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता तथा मैसर्स के.बी. शर्मा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जम्मू को निगम के शाखा लेखापरीक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया।

26. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निगम द्वारा शामिल विभिन्न टिप्पणियों को दर्शाने वाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुसूची-16 में दी गई है, जो कि स्वत: स्पष्ट है। टिप्पणियों के उत्तर **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उनके उत्तर **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की समीक्षा इस रिपोर्ट के **अनुबंध-III** में दी गई है।

27. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना कंपनी नियमावली, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी समावेशन विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय का ब्यौरा इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

28. लेखापरीक्षा समिति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-292ए के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। उक्त लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-292ए के अनुसार अपेक्षित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय लेखों की समीक्षा की है।

29. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी नियमावली, 1975 (कर्मचारियों के ब्योरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

30. निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-217 के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि

i) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री प्रेषण के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानदंड अपनाए गए हैं।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां चयन की हैं और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लिए हैं, जो युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक व स्पष्ट झलक प्रस्तुत करते हैं।

iii) निदेशकों ने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान व उनकी रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन में समुचित लेखा रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए पर्याप्त ध्यान रखा है।

iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे अनवरत सम्बद्ध आधार पर तैयार किए हैं।

31. निदेशकों का विवरण

एन.एच.पी.सी. के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार श्री ए.बी. जोशी अंशकालिक निदेशक, बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए हैं। पिछली रिपोर्ट के बाद से श्री अनिल राज़दान, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, श्री आर. रामानुजम, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय तथा श्री सी.पी. जैन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को एन.एच.पी.सी. लि. के बोर्ड में अंशकालिक निदेशकों के तौर पर नियुक्त किया गया है। पिछली रिपोर्ट के बाद से श्री अ.ई. बुनेट तत्कालीन निदेशक (कार्मिक) के स्थान पर श्री बिनय कुमार, जिन्होंने 9 अगस्त, 2001 से निदेशक (कार्मिक) का कार्यभार संभाला है, की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

32. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),

योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय और राज्य विद्युत बोर्डों के सहयोग व मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ निवेशकों का भी एन.एच.पी.सी. के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आभारी है। बोर्ड, पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोक्ताओं के साथ-साथ अपने अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों, जिन्होंने परामर्शी कार्यों के लिए ठेके देकर एन.एच.पी.सी. पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, की भी विशेष रूप से सराहना करता है।

बोर्ड, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा बैंकों की भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना करता है।

इसके साथ ही बोर्ड, निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग से निगम को बहुमूल्य उपलब्धियां प्राप्त हो सकी हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 12 अक्तूबर, 2001
स्थान : फरीदाबाद

श्री योगेन्द्र प्रसाद, सी.एम.डी., एन.एच.पी.सी., विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देते हुए

वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां

1. **लेखा पद्धति**

1.1 वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार की जाती हैं।

1.2 प्राप्त होने पर/वसूली के लिए यथोचित ढंग से निर्धारण करने योग्य ब्याज/अधिभार, जो देनदारों से वसूली योग्य हैं, को राजस्व के रूप में माना गया है।

2. **स्थिर परिसंपत्तियां**

2.1 स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण के आधार पर किया गया है। फिर भी, जहां ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के प्रस्तुत न करने/समायोजन के अभाव में वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों के लिए बाहरी एजेंसियों से प्राप्त हिस्सा, यदि कोई है, को शुद्ध रूप में दर्शाया गया है।

2.2 निगम के स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित परिसंपत्तियों को स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2.3 भूमि के मुआवजे और अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 परियोजनाओं में सहायता अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर प्राप्त/सृजित परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनका स्वामित्व अधिकार निगम के पास नहीं है।

2.5 परियोजनाओं में अतिरिक्त घोषित किए गए निर्माण उपस्करों को अंकित मूल्य/शुद्ध प्राप्य मूल्य से कम दर्शाया गया है।

3. **चालू पूंजीगत कार्य**

3.1 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जनसुविधाओं के रख-रखाव व उत्थान आदि पर हुए खर्च को 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च' में डाला गया है।

3.2 वाणिज्यि उत्पादन शुरु होने पर 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च' की पूरी राशि, भूमि व बुनियादी ढांचागत कार्यों को छोड़कर, परियोजना के अचल मुख्य घटकों में डाली गई है।

4. **विविध खर्च**

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजना का विविध खर्च 5 वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

5. **मूल्यह्रास और परिशोधन**

5.1 लीज होल्ड भूमि के प्रीमियम को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

5.2 जिस वर्ष में परिसंपत्तियां उपयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध होती हैं, इसके बाद के वर्ष में मूल्यह्रास विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित तथा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर सीधे तौर पर चार्ज किया जाता है, इसमें वर्ष के दौरान खरीदी हुई उन परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनका मूल्य 5000 रुपए अथवा इससे कम है तथा वर्ष के प्रारंभ में डब्ल्यू.डी.वी. के सदृश वे परिसंपत्तियां (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) भी शामिल नहीं हैं, जिन्हें वर्ष के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जिन परिसंपत्तियों के लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए कंपनी अधिनियिम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों को अपना लिया जाता है।

6. **माल सूचियों का मूल्यांकन**

6.1 सामग्री तथा पुर्जों का मूल्यांकन औसत लागत के अनुसार किया जाता है, किन्तु बेकार माल के मूल्य का निर्धारण शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान जारी किए गए अतिरिक्त औजारों की किसी एक वस्तु की लागत 5000/- रुपए या इससे कम लागत को उपभोग खाते में डाला जाता है और अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किश्तों में बट्टे खाते में डाला जाता है।

6.3 संचालित परियोजनाओं को संचालन व रख-रखाव के लिए जारी की गई सामग्री, जो वर्ष के अंत में स्थल पर अनुप्रयुक्त पड़ी है, का इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकन किया जाता है और इसे सामग्री के तौर पर लिया जाता है।

7. **विनिमय अस्थिरता**

विदेशी मुद्रा ऋणों/बकायों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार बदल/परिवर्तित किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में इसके अंतर को चालू पूंजीगत कार्य/स्थिर परिसपंत्तियों में डाला जाता है और चालू परिसंपत्तियों के मामले में इस अंतर को लाभ व हानि/निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाला जाता है।

8. सेवानिवृत्ति हितलाभ

हर वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी, छुट्टी भुनाने तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था है।

9. कुल बिक्री कारोबार

क) i) विनिमय दर परिवर्तन में बदलावों सहित ऊर्जा की बिक्री का परिकलन या तो अधिसूचित दरों या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियिम, 1948 के अंतर्गत दर नियतन के सिद्धांतों पर प्राप्त अनंतिम दरों पर किया जाता है।

ii) टैरिफ अधिसूचनाओं और लाभभोक्ताओं के साथ समझौते के आधार पर दरों के अनुसार प्रोत्साहनों को मान्यता दी जाती है। लाभभोक्ताओं के साथ लंबित समझौते अथवा जहां दर-सूची अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं, वहां इसकी स्वीकृति की संभावना को ध्यान में रखते हुए अनंतिम आधार पर प्रोत्साहन को मान्यता दी जाती है।

iii) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप देने के कारण उठे समायोजनों, यद्यपि ये महत्वपूर्ण नहीं हैं, को संबंधित अंतिम रूप देने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

ख) निर्माण ठेकों से लागत जमा/डिपॉजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन/ठेकों से प्राप्त राजस्व को समापन पद्धति की प्रतिशतता पर निम्नलिखित रूप में मान्यता दी जाती है।

कार्य की प्रगति	राजस्व की मान्यता
क) 66.67%	शून्य
ख) 66.67% से अधिक 90% तक	80%
ग) 90% से अधिक	100%

हानियों, जिनमें ठेकों में प्रत्याशित हानियां भी शामिल हैं, को तत्काल मान्यता दी जाती है।

10. निजी बीमा

तुलन पत्र की तारीख के समय ओ.एण्ड एम. परियोजनाओं के सकल ब्लॉक 0.5% वार्षिक को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाभ व हानि लेखे में चार्ज करके निजी बीमा रिजर्व खाते में हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार सृजित किए गए रिजर्व का उपयोग विशेष आकस्मिकताओं के लिए परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाएगा।

11. विविध

11.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जो प्रमाणित नहीं किए गए हैं, के लिए देयताएं नहीं दी गई हैं क्योंकि इनका निरीक्षण और स्वीकार करने का काम निगम को करना है।

11.2 संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सामान्य दर के अनुसार चार्ज की जाती हैं।

11.3 50,000/- रुपए और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्व अवधि व्ययों/आय को लेखों के स्वाभाविक शीर्ष में दर्शाया जाता है।

12. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आबंटन

निगम मुख्यालय का खर्च नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है :-

i) करों व शुल्कों को छोड़कर संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के लिए विद्युत बिक्री के 1% की दर से।

ii) ठेके के आधार पर परियोजनाओं के निर्माण के मामले में वर्ष के दौरान हुए खर्च के 5% की दर से।

iii) शेष खर्च वर्ष के दौरान शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में अन्य परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

13. ऋण लागत

अधिग्रहण, निर्माण और क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दी जाने वाली ऋण लागतों को उन परिसंपत्तियों की लागत के समान ही पूंजीकृत किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उसी अवधि के लिए खर्च के तौर पर माना जाता है जिस अवधि में वे खर्च की जाती हैं।

14. निवेश

दीर्घकालीन और लागत पर आधारित होते हैं।

31 मार्च, 2001 का **तुलन-पत्र**

(मिलियन रुपए)

विवरण	अनुसूची सं.		31 मार्च, 2001 को			31 मार्च, 2000 को	
निधियों के स्रोत							
हिस्सेदारों की निधियां							
हिस्सा पूंजी	1		46,144			39,972	
हिस्सा पूंजी जमा			1,480			232	
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			4,258			4,258	
आरक्षित व अधिशेष	2		21,391	73,273		16,906	61,368
ऋण निधियां	3						
आरक्षित ऋण			31,931			31,912	
अनारक्षित ऋण			24,500	56,431		23,925	55,837
मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय				5,199			3,861
				134,903			**121,066**
निधियों का उपयोग							
स्थिर पूंजीगत खर्च							
स्थिर परिसंपत्तियां	4						
सकल ब्लॉक		78,927			77,527		
मूल्यह्रास		12,801			10,290		
शुद्ध ब्लॉक			66,126			67,237	
चालू पूंजीगत कार्य	5		37,108			27,686	
निर्माण सामग्री व पेशगियां	6		6,130	1,09,364		5,115	1,00,038
निवेश	7			6,799			
चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	8						
माल सूचियां		904			830		
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)		18			2,142		
विविध देनदार		19,825			22,809		
नकद व बैंक शेष		2,206			1,117		
अन्य चालू परिसंपत्तियां		548			269		
ऋण व पेशगियां		1,827	25,328		1,608	28,775	
घटाएं: चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	9						
देयताएं		3,206			6,139		
व्यवस्थाएं		3,480	6,686		1,627	7,766	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				18,642			21,009
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक)	10			98			19
				1,34,903			**1,21,066**
लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियां	17						

अनुसूची 1 से 17 तक और लेखा नीतियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

अशोक चोपड़ा
भागीदार

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : जुलाई 24, 2001

31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(मिलियन रुपए)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
बिक्री		12,766		12,163	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी		1,338	11,428	1,406	10,757
ठेके व परामर्श			5,226		12
अन्य आय	11		2,655		2,014
कुल आय			**19,309**		**12,783**
खर्च					
उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्चे	12		1,218		1,167
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	13		1,498		939
मूल्यह्रास			2,387		2,198
ब्याज व वित्त प्रभारें	14		4,868		4,497
अन्य ठेकों संबंधी खर्चे	15		4,783		2
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	16		84		(32)
कुल खर्च			**14,838**		**8,771**
वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)			**4,471**		**4,012**
कर के लिए प्रावधान		408			
घटाएं : वसूल किए जाने वाला आयकर		371	**37**		-
कर के पश्चात् लाभ			**4,434**		4,012
पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया शेष लाभ			8,712		**4,885**
बाण्ड्स रिडेम्पशन रिज़र्व से पुनरांकित			2,422		-
सामान्य रिज़र्व को हस्तांतरण			11,100		-
प्रस्तावित लाभांश			300		150
आयकर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)			31		35
आरक्षित व अधिशेष में लाया गया शेष लाभ			**4,137**		**8,712**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

अशोक चोपड़ा भागीदार	**विजय गुप्ता** सचिव	**आर. नटराजन** निदेशक (वित्त)	**योगेन्द्र प्रसाद** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : जुलाई 24, 2001

शेयर पूंजी

अनुसूची-1
(मिलियन रुपए)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2001 को	31 मार्च, 2000 को
प्राधिकृत			
70000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 50000000) 1000/- रुपए प्रति शेयर		70,000	50,000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त			
1000/- रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 46144947 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 39972447) (इनमें से 6,29,529 शेयर, अनुगामी ठेकों के नकद के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए किया गया है)		46,144	39,972
कुल		**46,144**	**39,972**

आरक्षित व अधिशेष

अनुसूची-2
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को शेष	बढ़ोत्तरी	कटौती	31 मार्च, 2001 को शेष
आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री)	1	-	-	1
बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व	5,076	-	2,422	2,654
स्व-बीमा रिजर्व	1,017	383	1	1,399
सामान्य रिजर्व	2,100	11,100	-	13,200
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	8,712	6,525	11,100	4,137
कुल	**16906**	**18,008**	**13,523**	**21,391**

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2001 को		31 मार्च, 2000 को
आरक्षित ऋण				
1. बॉण्ड (अपरिवर्तनीय, असंचयी)				
बॉण्ड - 'जी' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
31 मार्च, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9% (करमुक्त) पर 10 वर्षीय बॉण्ड्स (70 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	70	70	70	70
बॉण्ड - 'एच' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
14 मई, 2000 से 4 अक्तूबर, 2000 तक सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-	-	162	162
बॉण्ड - 'आई' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
4 जनवरी, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 14% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-		8	
20 जनवरी, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 15.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-		33	
24 मार्च, 2001 से 31 मार्च, 2001 तक सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 14% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-		1,902	
4 अप्रैल, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 14% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (8 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	8		8	
29 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 10.5% (करमुक्त)पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-	8	1,000	2,951
बॉण्ड - 'जे' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
1 दिसम्बर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 13% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (500 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	500		500	
अक्तूबर से दिसंबर, 2001 तक सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 13.25% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 8 अक्तूबर, 2001 है) (1550 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	1,550		1,550	
15 और 16 नवंबर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9.25% (करमुक्त)पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (1000 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	1,000		1,000	
21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	250		250	
30 सितंबर, 2000 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स	-		50	
30 सितम्बर, 2000 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16.25% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-		674	
		3,300		4,024

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को		31 मार्च, 2000 को	
बॉण्ड - 'के' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
30 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 18% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स	-		250	
1 अगस्त, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17.5% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स (300 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	300		300	
17.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स, 1000/- रुपए प्रत्येक के सममूल्य पर प्रतिदेय (30 सितंबर, 2001 को शोधन की सर्वप्रथम तारीख) (500 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर रिडेम्पशन के लिए देय)	500	800	500	1,050
बॉण्ड - 'एल' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/-रुपए प्रत्येक के 16% पर 7 वर्षीय बॉण्डस	633		633	
31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/-रुपए प्रत्येक के 10.5% (करमुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्डस	510	1,143	510	1,143
उपचित एवं देय ब्याज (एल सीरिज)		-		1
II. अन्य आवधिक ऋण				
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया *1 (500 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	500		1,500	
आईसीआईसीआई *2	4,000		4,000	
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया *2	3,000		3,000	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आवधिक ऋण *2	2,000		2,000	
कारपोरेशन बैंक *2	1,000		1,000	
इंडियन ओवरसीज बैंक *2	500		500	
केनरा बैंक *1	1000		-	
केनरा बैंक *2 (214 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	1,072		1,286	
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2 (100 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	400		500	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2	500		500	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2	1,000		1,000	
भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *1	4,000		2,500	
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स *2	1,000		1,000	
इंडियन बैंक *1	1,000		-	

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2001 को		31 मार्च, 2000 को
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1	400		-	
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. *2 (16.32 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)	52	21,424	66	18,852
बैंक से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण (अल्प अवधि) *3		2,390		1,615
बैंकों से नगद उधार (अल्प अवधि) *3		2,796		2,044
कुल आरक्षित ऋण		**31,931**		**31,912**

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2001 को		31 मार्च, 2000 को
अनारक्षित ऋण				
क. भारत सरकार से ऋण (461 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)		4,397		4,845
उपचित एवं देय ब्याज		-		2
ख. आवधिक ऋण				
व्यास बैंक लि. *4		750		-
-				
(750 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)				
ग. अन्यों से ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)				
1. एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (808 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)	1,615		2,209	
2. वैस्ट मर्चेंट बैंक लि. (243 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)	1,216		1,525	
3. ए.बी.एस.ई.के. (955 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)	4,776		5,469	
4. नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (236 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्आदायगी के लिए देय)	2,357		2,428	
5. क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फांस	5,097		4,503	
6. एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (चमेरा- II)	1,387		649	
7. जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-आपरेशन - ट्रेंच- I	1,451		1005	
8. जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-आपरेशन - ट्रेंच- II	1,454		772	
		19,353		18,560
घ. अन्य ऋण व पेशगियां (कुरिचू परियोजना प्राधिकरण से)		-		518
कुल अनारक्षित ऋण		**24,500**		**23,925**
कुल ऋण (आरक्षित ऋण+अनारक्षित ऋण)		**56,431**		**55,837**

नोट :

***1. चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर आरक्षित।**

***2. उड़ी जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज/बंधक रखकर आरक्षित।**

***3. देनदारों व ओ. एंड एम. सामग्रियों के बदले बंधक द्वारा आरक्षित।**

***4. अनारक्षित अल्प अवधि क्रेडिट सुविधा।**

स्थिर परिसंपत्तियां

अनुसूची-4
(मिलियन रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2000 को	बढ़ोत्तरियां/ समायोजन	कटौतियां/ समायोजन	31.3.2001 को	1.4.2000 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.3.2001 को	31.3.2001 को	31.3.2000 को
फ्रीहोल्ड भूमि	913	220	30	1,103	-	-	-	-	1,103	913
लीजहोल्ड भूमि	218	9	45	182	15	3	-	18	164	203
अवर्गीकृत भूमि	-	101	-	101	-	-	-	-	101	-
भवन	6,564	169	4	6,729	1,189	232	2	1,423	5,306	5,375
सड़कें प पुल	774	66	-	840	159	25	-	184	656	615
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	440	118	38	520	254	24	7	285	235	186
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	19,489	242	1	19,730	2,934	784	2	3,720	16,010	16,555
सब-स्टेशन उपस्कर	395	30	-	425	59	32	-	91	334	336
हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	47,192	345	8	47,529	4,931	1,274	1	6,206	41,323	42,261
वाहन	200	62	8	254	90	40	(5)	125	129	110
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	279	116	8	387	90	31	1	122	265	189
ट्रांसमिशन लाइनें	191	1	-	192	85	15	-	100	92	106
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	176	102	24	254	63	20	(23)	60	194	113
अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	650	36	70	616	378	17	7	402	214	272
500/- रुपए तक की कम कीमत वाली स्थिर परिसंपत्तियां	46	19	-	65	43	20	2	65	-	3
कुल	**77,527**	**1,636**	**236**	**78,927**	**10,290**	**2,517**	**(6)**	**12,801**	**66,126**	**67,237**
पिछले वर्ष	70,904	7,316	693	77,527	8,111	2,285	(106)	10,290	67,237	62,793

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5
(मिलियन रुपए)

विवरण	01 अप्रैल 2000 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2001 को
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च	187	155	-	-	342
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	740	673	(41)	251	1,121
3. सड़कें और पुल	306	306	(98)	84	430
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल	7,285	4,986	(85)	200	11,986
5. पेनस्टॉक	204	-	-	-	204
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	5,796	748	(1)	8	6.535
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर	20	21	-	3	38
8. विविध परिसंपत्तियां	4	4	(2)	2	4
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	3	-	-	-	3
10. विनिमय दर अंतर	-	(36)	10	-	(26)
11. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च	13,141	3,340	(11)	(1)	16,471
कुल	**27,686**	**10,197**	**(228)**	**547**	**37,108**
पिछले वर्ष	25,760	7,629	(106)	5,597	27,686

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची -5 का अनुबंध
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	1381		698	
ग्रेच्युटी व भविष्यनिधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	157		82	
स्टाफ कल्याण खर्च	179		95	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	7	1,724	2	877
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	25		26	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	35		48	
अन्य	69	129	47	121
प्रशासन व अन्य खर्च				
यात्रा व वाहन	54		45	
स्टाफ कारों व वाहन निरीक्षण पर खर्च	52		37	
कार्यालय का किराया	7		3	
आवासीय किराया	52		27	
दरें व कर	3		10	
बीमा	12		8	
बिजली प्रभारें	33		18	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	20		15	
विज्ञापन व प्रचार	17		17	
विदेशी परामर्श प्रभारें	5		34	

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	
विदेशी ठेकों पर आयकर	-		39	
डिजाइन व परामर्श प्रभारें	6		14	
सत्कार	1		1	
छपाई व लेखन सामग्री	21		13	
भूमि, जो निगम की नहीं है, के लिए खर्च	201		112	
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास	5		6	
अन्य खर्चे	152		130	
लेखापरीक्षकों को भुगतान	1		1	
सामग्रियों / परिसंपत्तियों पर हानि, जो बट्टे खाते डाली गई	4	646	13	543
ब्याज व वित्त प्रभारें				
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	40		82	
बॉण्डस पर ब्याज	292		542	
विदेशी ऋण पर ब्याज	483		450	
नकद उधार सुविधाओं / आवधिक ऋण पर ब्याज	444		181	
बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च	1		1	
कमिटमेंट फीस	58		40	
विदेशी ऋण पर गारंटी फीस	75		62	
अन्य वित्त प्रभारें	91	1,484	347	1,705
विनिमय दर अंतर-शुद्ध (लाभ)		(335)		146
मूल्यह्रास		123		81
पूर्व अवधि खर्च (शुद्ध)				
क) आय	28		-	
घटाएं :				
ख) खर्च				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	4		-	
ii) मरम्मत व रखरखाव	-		61	
iii) अन्य	3		(95)	
iv) मूल्यह्रास	3	(18)	-	(34)
कुल खर्च		**3,753**		**3,439**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां				
संयंत्र व मशीनों का किराया प्रभार / आउट टर्न	51		113	
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	43		45	
विविध प्राप्तियां व वसूलियां	75		59	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1		1	
ट्रॉयल रन्स के दौरान बिजली की बिक्री	-		15	
कुल प्राप्तियां व वसूलियां		**170**		**233**
शुद्ध खर्च		**3,583**		**3,206**
घटाएं :				
ओ. एंड एम. परियोजनाओं तथा डिपॉजिट / टर्नकी ठेकों को आबंटित निगम मुख्यालय के शेयर		243		197
सी.डब्ल्यू.आई.पी. को हस्तांतरित राशि		**3,340**		**3,009**

क) निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण

(मिलियन रुपए)

		2000-2001	1999-2000
(क) i)	वेतन तथा भत्ते	2.4	2.6
ii)	भविष्य निधि व अंशदान	0.2	0.3
iii)	रिहायशी आवास के लिए किराया	0.4	0.3
iv)	यात्रा खर्च	2.9	2.7
v)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.2	0.2

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को प्रतिमाह 1000 किलोमीटर तक सरकारी और यात्राओं के लिए नीचे दिए गए अनुसार भुगतान के आधार पर कम्पनी कार के प्रयोग की अनुमति दी गई।

1/4/2000 से 31/10/2000 तक	गैर ए.सी. कार	ए.सी. कार
16 हॉर्स पावर तक	250 प्रतिमाह	400 प्रतिमाह
16 हॉर्स पावर से अधिक	375 प्रतिमाह	600 प्रतिमाह
1/11/2000 से 31/3/2001 तक	**गैर ए.सी. कार**	**ए.सी. कार**
16 हॉर्स पावर तक	325 प्रतिमाह	520 प्रतिमाह
16 हॉर्स पावर से अधिक	490 प्रतिमाह	780 प्रतिमाह

ख) सांविधिक लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण

(मिलियन रुपए)

	2000-2001	1999-2000
लेखापरीक्षा शुल्क	0.63	0.43
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.12	0.11
लेखापरीक्षा खर्च	0.35	0.51
अन्य मामले	0.01	0.05

निर्माण सामग्रियां व पेशगियां

अनुसूची-6

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को		31 मार्च, 2000 को	
निर्माण सामग्रियां				
(प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)				
मार्गस्थ निर्माण सामग्री	1		9	
सामग्रियां	1,179	1,180	1,696	1,705
पूंजीगत खर्च के लिए पेशगी				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	1,594		1,015	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	3,356	4,950	2,395	3,410
		6,130		**5,115**

निवेश

अनुसूची-7

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घकालीन निवेश (अनुद्धत)		
सहायक कंपनी में निवेश		
नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में 1000/- रुपए प्रत्येक, के 795512 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	795	-
दीर्घकालीन निवेश (उद्धत)		
इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 10/- रुपए प्रत्येक के 360800 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	4	-

टिप्पणी :

	(मिलियन रुपए) 31.3.2001 को	(मिलियन रुपए) 31.3.2000 को
उद्धत निवेश		
बुक मूल्य	4	-
मार्किट मूल्य	3	-

दीर्घकालीन निवेश (अनुद्धत)		
उत्तर प्रदेश सरकार - 11% रिडीमेबल बॉण्ड्स	3000	-
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. - 11.89% रिडीमेबल	3000	-
नॉन-कंवर्टीबल नॉन-क्यूमिलेटिव बांड्स	6799	-

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-8
(मिलियन रुपए)

विवरण			31 मार्च, 2001	को			31 मार्च, 2000	को
चालू परिसंपत्तियां								
मालसूचियां (प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)								
सामग्री व पुर्जे			903				828	
लूज़ औज़ार			1	904			2	830
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)				18				2,142
विविध देनदार (अनारक्षित)								
छः मास से अधिक अवधि के लिए								
बकाया ऋण			13,892				18,884	
अन्य ऋण			6,708				4,751	
कुल देनदार			20,600				23,635	
घटाएं : प्रावधान			775	19,825			826	22,809

विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण

	2000-2001	1999-2000
कंसीडर्ड गुड	19,825	22,809
कंसीडर्ड संदेहजनक व व्यवस्थित	775	826

			31 मार्च, 2001	को			31 मार्च, 2000	को
नकद व बैंक शेष								
नकद, अग्रदाय, चैक व ड्राफ्ट			1,625				278	
अनुसूचित बैंकों में शेष								
चालू खाता			510				406	
जमा खाता (अल्प अवधि)			1				-	
गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष								
(बैंक ऑफ भूटान में)								
चालू खाता			20				433	
बचत खाता			50	2,206			-	1,117
अन्य चालू परिसंपत्तियां								
जमा राशि/निवेश पर उपचित ब्याज			251				11	
अन्य			297	548			258	269
ऋण व पेशगियां								
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां								
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	2				105			
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)								
सहायक कंपनी	16				-			
अन्य	839				902			
अनारक्षित (कंसीडर्ड संदेहजनक)	5	862			7	1,014		
घटाएं : संदेहजनक के लिए प्रावधान		5	857			7	1,007	
घटाएं : संदेहजनक के लिए प्रावधान			434				-	
अग्रिम कर जमा और स्रोत पर काटा गया कर			536	1827			601	1,608
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.				**25,328**				**28,775**

क. वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

(मिलियन रुपए)

स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन	2000-2001	1999-2000
चालू खाता	-	368
बैंक ऑफ भूटान		
चालू खाता	433	433
आवधिक जमा खाता	120	60

ख. निदेशकों से प्राप्य ऋण व पेशगियों का विवरण

	2000-2001	1999-2000
वर्ष के अंत में प्राप्य राशि	0.6	0.4
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	1.3	0.5

निगम का कोई निदेशक, जिन कंपनियों में सदस्य अथवा निदेशक हैं, उन कंपनियों द्वारा देय पेशगी - शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)

अनुसूची-8 का अनुबंध

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रत्यक्ष कर (मजदूरी, सामग्री, परिसंपत्तियां तथा ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान शामिल है)		2,200		1,469
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी भत्ते व लाभ	59		38	
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान	6		2	
स्टाफ कल्याण खर्च	2	67	3	43
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	1		1	
मशीनें व निर्माण उपस्कर	5		3	
अन्य	18	24	13	17
प्रशासनिक व अन्य खर्च				
यात्रा व वाहन	9		5	
स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर खर्च	7		4	
कार्यालय किराया	1		1	
बीमा	4		3	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	4		2	
विज्ञापन व प्रचार	-		1	
छपाई व लेखन सामग्री	1		1	
बैंक प्रभारें	1		1	
निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च	115		75	
अन्य खर्च	8	150	8	101
मूल्यह्रास		7		5
कुल खर्च		2,448		1,635
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां				
विविध		32		60
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		2,416		1,575
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष		2,142		567
वर्ष के दौरान समायोजन		9		-
वर्ष के दौरान कुल खर्च		4,567		2,142
घटाएं : लाभ व हानि लेखा में हस्तांतरित (अनुसूची-15)		4,549		-
अनुसूची-8 में ले जाया गया कुल खर्च		18		2,142

चालू देयताएं व प्रावधान

अनुसूची-9
(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2001 को			31 मार्च, 2000 को
देयताएं						
विविध लेनदार						
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) की कुल बकाया देय राशि	1			3		
लघु औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि	1,065	1,066		1,039	1042	
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		27			26	
डिपॉजिट/प्रतिधारण राशि		157			153	
अन्य देयताएं		462			1,223	
ऋण पर उपचित ब्याज, परंतु देय नहीं		1,023			1,124	
जारी किए गए चैकों के लिए देयता		-			1	
निर्माण ठेकों के लिए पेशगियां		471	3,206		2,570	6,139
प्रावधान						
कराधान		408			-	
प्रस्तावित लाभांश		300			150	
प्रस्तावित लाभांश पर कर		31			33	
स्टाफ के हित लाभ		2,741	3,480		1,444	1,627
			6,686			**7,766**

विविध खर्च

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)

अनुसूची-10
(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2001 को		31 मार्च, 2000 को
आस्थगित राजस्व खर्च		47		19
निगम की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों पर खर्च		51		-
बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियाँ	32		28	
घटाएं : के लिए प्रावधान	32	-	28	-
		98		**19**

अन्य आय

अनुसूची-11
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	34	11
वापस ली गई देयताएं, जो अपेक्षित नहीं थीं	10	6
दीर्घकालीन निवेश से आय (सकल)	587	-
अन्य विविध प्राप्तियां	15	51
बेकार माल से आय	1	-
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	7	8
अधिभार	2,001	1,938
	2,655	**2,014**

उत्पादन, प्रशासनिक व अन्य खर्च

अनुसूची-12
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	
उत्पादन खर्च				
सामग्री व पुर्जों की खपत	71		60	
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	25		23	
मशीनें	182		195	
अन्य	98		67	
अन्य संचालनात्मक खर्च	34		23	
आस्थगित राजस्व खर्च के लिए बट्टे खाते डाली गई रकम राजस्व खर्च	11	421	3	371
प्रशासनिक व अन्य खर्च				
किराया	3		2	
दरें व कर	1		2	
बीमा	387		364	
बिजली प्रभारें	6		10	
	18		14	
स्टाफ कारों पर खर्च	20		19	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	9		7	
विज्ञापन व प्रचार	4		4	
छपाई व लेखन सामग्री	8		4	
अनुदान	7		27	
निगम मुख्यालय के प्रबंधन पर खर्च	128		122	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	10		1	
अन्य विविध खर्च	170	771	207	783
विनिमय दर अंतर		26		13
		1,218		**1,167**

कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ

अनुसूची-13
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी व भत्ते	1203	730
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	117	76
स्टाफ कल्याण खर्च	178	133
	1,498	**939**

ब्याज व वित्त प्रभारें

अनुसूची-14
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	718	754
बॉण्डों पर ब्याज	1,036	1,411
विदेशी ऋणों पर ब्याज	697	690
नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज	2,114	1,384
बॉण्ड खर्चे	1	-
ग्राहकों को छूट	167	107
कमिटमेंट फीस	-	1
विदेशी ऋणों पर गारंटी फीस	129	148
अन्य वित्त प्रभारें	6	2
	4,868	**4,497**

अन्य ठेके संबंधी खर्च

अनुसूची-15
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष खर्च (श्रम, सामग्री सहित)	4,099	-
अप्रत्यक्ष खर्च	450	-
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	230	-
अन्य परामर्शी खर्च	4	2
	4,783	**2**

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

अनुसूची-16
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2001को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
बिजली की बिक्री	-	(1)
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	(2)	-
अन्य	30	94
उप जोड़	28	93
खर्च		
वेतन व मजदूरी	14	1
मरम्मत व रख-रखाव	10	11
ब्याज	(1)	12
अन्य	18	7
उप जोड़	41	31
मूल्यह्रास	71	30
पूर्ण अवधि समायोजन (शुद्ध)	**(84)**	**32**

1. *आकस्मिक देयताएं*

   क) निगम के विरुद्ध दावे की राशि 8465 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 8782 मिलियन रुपए) बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में 757 मिलियन रुपए अतिरिक्त गारंटी फीस के शामिल है जिसे समाप्त करने के लिए किया गया आवेदन अभी भी भारत सरकार के पास लम्बित है।

   ख) निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 212 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 428 मिलियन रुपए) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 24059 मिलियन रुपए बनती है (पिछले वर्ष 26703 मिलियन रुपए)।

3. क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 के पत्र संख्या 4/1/78-डीओ (एन.एच.पी.सी.) के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) नवम्बर, 1987 में निगम को हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक और कानूनी मत के आधार पर इस परियोजना के लेखे निगम के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था। तद्नुसार 3316 मिलियन रुपए (जिसमें 2976 मिलियन रुपए अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50% के तथा 340 मिलियन रुपए आईडीसी के 50% के हैं) की राशि को सरकार द्वारा निवेश के तौर पर माना गया है और इसकी गणना इक्विटी में समंजन योग्य भारत सरकार की निधि के तौर पर की गई है।

   ख) निर्माण के दौरान भारत सरकार से 942 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 942 मिलियन रुपए) की मंजूरी लंबित होने के कारण इस राशि के ब्याज के प्रथम 50% हिस्से को चमेरा-I, टनकपुर, उड़ी तथा रंगित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया, जिसे इक्विटी के तौर पर समायोजित दर्शाया गया है और शेष 50% को इस संबंध में उस समय प्रचलित वित्तीय पद्धति के अनुसार भारत सरकार के ऋण के तौर पर दर्शाया गया है।

4. ***भूमि व भवन***

   क) कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि को उपलब्ध प्रलेखन के आधार पर यथासंभव फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्ड के तौर पर वर्गीकृत किया गया है तथा शेष को अवर्गीकृत दर्शाया गया है।

   ख) कुछ मामलों में भूमि व भवन के संबंध में टाइटिल डीड/टाइटिल को निष्पादित/पास किया जाना है इसके पंजीकरण के संबंध में स्टैम्प ड्यूटी आदि पर जब और जैसे ही खर्च होगा, उसकी गणना लेखों में की जाएगी।

   ग) जम्मू व कश्मीर की कुछ परियोजनाओं में लीज़ डीड का निष्पादन लम्बित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गई है।

5. ***निवेश***

   नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि. (एक सहायक कंपनी) में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बॉण्ड व शेयर्स में निगम द्वारा किए गए निवेश के संबंध में बॉण्ड/शेयर सर्टिफिकेट अभी प्राप्त होने हैं।

   वर्ष के दौरान बॉण्ड्स में निवेश पर 587 मिलियन (सकल) रुपए के ब्याज की गणना लाभ व हानि लेखे में की गई है।

6. ***बिक्री***

   क) सीईआरसी से आर्डर की प्राप्ति लंबित होने के कारण टैरिफ निर्धारण सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार, विदेशी विनिमय दर के अंतर के कारण लेखों में ली गई बिक्री में 593 मिलियन रुपए शामिल हैं।

   ख) रंगित परियोजना के संदर्भ में सीईआरसी द्वारा अनुमति दी गई अस्थायी दरों के आधार पर बिक्री दर्ज की गई है और प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन के संबंध में समायोजन की गणना संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मशीन उपलब्धता के प्रमाणन के बाद की जाएगी।

7. कालपोंग परियोजना के मामले में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संशोधित बजट अनुमान की मंजूरी लम्बित होने के कारण 10% प्रशासनिक प्रभार जो कि 54 मिलियन रुपए बनते हैं, और ठेके की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य हैं, को राजस्व के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। चूंकि यह परियोजना डिपॉज़िट कार्य आधार पर ली गई है अत: किसी प्रकार की हानि की प्रत्याशा नहीं है।

8. ठेकेदारों को दी गई सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष सामग्री, वसूली योग्य दावे, (पीजीसीआईएल के दावों सहित) पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियाँ, विविध देनदार, ठेकेदारों को पेशगियाँ, ठेकेदारों से डिपॉज़िट/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टि व संबंधित पारिणामिक समायोजन की शर्त के अधीन है। तद्नुसार ठेकेदारों के दावों का निपटान लम्बित होने के कारण 29 मिलियन, 22 मिलियन, 10 मिलियन, 4 मिलियन और 3 मिलियन रुपए की राशि चमेरा-I और टनकपुर परियोजनाओं के संबंध में क्रमश: ठेकेदारों को दी गई सामग्री, ठेकेदारों को पेशगियां, वसूली योग्य भाड़ा प्रभार, ठेकेदारों/अन्यों से वसूली योग्य पेशगियों और दावों पर उपचित ब्याज में शामिल है, जिसे वसूली योग्य दर्शाया गया है।

9. उड़ी परियोजना में अनुमानित निर्यात लाभ, यदि कोई हों, जो ठेकेदार ने प्राप्त किए हैं उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं और जिनका निगम को भुगतान किया जाना है, उनका संबंधित प्राधिकारियों के साथ अभी तक पूरी तरह निपटान नहीं हुआ है और औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण वे अभी तक लम्बित हैं, वास्तविक तौर पर प्राप्त होने पर इनकी गणना लेखों में की जाएगी।

10. क) सावलकोट और बगलिहार परियोजनाएं जिनकी परिसंपत्तियाँ जम्मू व कश्मीर सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमति हो चुकी है, के बारे में हस्तांतरण विचाराधीन होने के कारण प्राप्ति की पूरी राशि लम्बित है, जिसे निगम की परिसंपत्तियों के तौर पर माना जा रहा है। 54 मिलियन रुपए की तदर्थ पेशगी राशि चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई है। उक्त लेन-देन के कारण उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम तौर पर हस्तांतरण व निपटान के समय किए जाएंगे।

    ख) सेवा-II, किशनगंगा व उड़ी-II परियोजनाओं की परिसंपत्तियों/देयताओं को जम्मू कश्मीर राज्य को हस्तांतरण के संबंध में परिसंपत्तियाँ सौंपने संबंधी शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान हुए खर्च को निर्माण कार्य प्रगति पर के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया है।

11. माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू व कश्मीर के निर्णय की शर्तों के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 संबंधित कर्मचारियों पर लागू हो गई है और यह माननीय उच्चतम न्यायालय के लम्बित निर्णय की शर्त के अधीन है। जहां पेंशन के समतुल्य अंशदान किया गया था, वहां अंशदान की बकाया राशि कर्मचारियों से वसूल की जानी है या उनकी भविष्यनिधि

से वसूली योग्य है। अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, जब और जैसे ही निपटान होगा, उसकी गणना लेखों में की जाएगी।

12. (क) वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का प्रभाव नीचे दिए अनुसार है :-

		(मिलियन रुपए)
		2000-2001
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ व हानि के लेखे में चार्ज की गई राशि	26
(ii)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ व हानि लेखे में वर्ष के लिए जमा शुद्ध राशि	-
(iii)	निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च के लिए चार्ज की गई राशि	(335)
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य के लिए चार्ज की गई राशि	(36)
(v)	स्थिर परिसम्पत्तियों की आगे लाई गई राशि में जमा द्वारा समायोजित राशि	454
(vi)	वित्तीय परिसम्पत्तियों में जमा द्वारा समायोजित राशि	14

(ख) वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत की राशि 1484 मिलियन रुपए

13. संबंधित प्राधिकारियों से पूर्णता प्रमाण पत्र तथा डिमांड नोटिस प्राप्त न होने के कारण फरीदाबाद, कार्यालय परिसर के लिए संपत्ति कर की व्यवस्था नहीं की गई है।

14. कामगारों के लिए वेतन संशोधन दिनांक 1.1.97 से देय है। यूनियन के साथ हुई बातचीत तथा समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के आधार पर वर्तमान 1,422 मिलियन रुपए के प्रावधान को अद्यतन करते हुए वेतन संशोधन में 971 मिलियन रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है, जो इस मद की देयताओं को पूरा करने के विचार से उपयुक्त है।

15. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवेशक की शिक्षा व संरक्षण निधि (इन्वेस्टर्स एजूकेशन एंड प्रोटेक्शन फण्ड) का गठन लंबित होने के कारण दावा व भुगतान न किए गए बॉण्डों से संबंधित संशोधित राशि और इस पर उपचित ब्याज को चालू देयताओं के एक भाग के तौर पर दर्शाया गया है।

16. क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जे.बी. के अन्तर्गत 408 मिलियन रुपए के आयकर की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 371 मिलियन रुपए संबंधित टैरिफ अधिसूचना की शर्तों के अनुसार लाभभोक्ताओं से वसूली योग्य के तौर पर दर्शाए गए हैं।

ख) प्राप्त की गई राय के आधार पर निगम के पास कोई कर योग्य संपत्ति नहीं है, अत: संपत्ति कर की व्यवस्था नहीं की गई है।

17. पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथाआवश्यक पुन: वर्गीकृत/पुन:व्यवस्थित कर दिया गया है।

18. मात्रात्मक विवरण

		2000-2001	**1999-2000**
i)	लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2149.20	2149.20
iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	8773.93	8690.73 @
iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)	7632.08	7572.46 #

@ ट्रायल रन के दौरान 3.8 मिलियन यूनिट सहित

ट्रायल रन के दौरान 3.35 मिलियन यूनिट सहित

(मिलियन रुपए)

19.	क)	सीआईएफ आधार पर आयातित प्लांट व मशीनरी तथा अतिरिक्त पुर्जों की कीमत	535	50
	ख)	विदेशी मुद्रा में खर्च		
		i) जानकारियां	139	42
		ii) ब्याज	1178	1121
		iii) अन्य विविध मामले	3033	892
	ग)	संचालित यूनिटों के उपयोग में लाए गए अतिक्ति पुर्जों व हिस्सों की कीमत		
		i) आयातित	4	44
		ii) स्वदेशी	67	85
	घ)	विदेशी मुद्रा में आय		
		ब्याज	-	3
		अन्य	-	10

विजय गुप्ता	**आर. नटराजन**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तुलन पत्र का सार एवं निगम के व्यवसाय की रूपरेखा

I पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |

राज्य कोड: | 0 | 5 |

तुलन पत्र दिनांक: | 3 | 1 | | 0 | 3 | | 2 | 0 | 0 | 1 |

II वर्ष के दौरान संचित पूंजी (**मिलियन रुपए**)

पब्लिक इश्यू: | शू | न् | य |

राइट इश्यू: | शू | न् | य |

बॉड इश्यू: | शू | न् | य |

प्राइवेट प्लेसमेंट *: | 7 | 4 | 2 | 0 |

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी डिपाजिट

III निधियों के प्रसार तथा नियोजन की स्थिति (**मिलियन रुपए**)

कुल देयताएं: | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 |

कुल परिसंपत्तियां: | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 |

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #: | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 |

आरक्षित तथा अधिशेष $: | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 |

आरक्षित ऋण: | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 |

अनारक्षित ऋण: | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |

1480 मिलियन रुपए की जमा हिस्सा पूंजी तथा 4258 मिलियन रुपए की इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि भी शामिल है।
$ 5199 मिलियन रुपए के मूल्यह्रास पर पेशगी खाते से प्राप्त की गई पेशगी आय की निधि शामिल है।

निधियों का उपयोग

शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां: | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | @

निवेश: | 6 | 7 | 9 | 9 |

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 |

विविध खर्च: | 9 | 8 |

संचित हानियां: | शू | न् | य |

@ चालू पूंजीगत कार्य के 37108 मिलियन रुपए और निर्माण स्टोर तथा पेशगियों के 6130 मिलियन रुपए शामिल हैं।

IV **निगम का कार्य-निष्पादन (मिलियन रुपए)**

टर्नओवर	कुल खर्च
16654**	14838

कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
4471	4434

प्रति शेयर मूल्य अर्जन (रुपए)	लाभांश राशि
102.22	300

** अन्य आय के 2655 मिलियन रुपए छोड़कर

V निगम के सामान्य तीन उत्पादों /सेवाओं के नाम

i) उत्पाद विविरण

विद्युत उत्पादन

मद कोड संख्या

-

ii) उत्पाद विवरण

निर्माण ठेके

मद कोड संख्या

-

iii) उत्पाद विवरण

परामर्शी सेवाएं

मद कोड संख्या

-

विजय गुप्ता	**आर. नटराजन**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कैश फ्लो स्टेटमेंट

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए		
क संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो						
कर-पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें			4,471			4,012
जोड़ें :						
मूल्यह्रास		2,387			2,199	
अदा किया गया ब्याज		4,868			4,497	
आरक्षित बीमा		382			358	
आस्थगित राजस्व खर्च		11			3	
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		10			1	
विनिमय दर अंतर		26			13	
मूल्यह्रास के लिए पेशगी		1,338			1,406	
		9,022			8,477	
घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		34	8,988		11	8,466
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालित लाभ						
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन						
माल सूचियां		(74)			(62)	
विविध देनदार		2,984			(6,116)	
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)		2,131			(1,570)	
ऋण व पेशगियां		(219)			232	
अन्य चालू परिसंपत्तियां		(279)			(26)	
चालू देयताएं व प्रावधान		(1,080)	3,463		1,698	(5,844)
कर-पूर्व संचालन से प्राप्त नकद			16,922			6,634
कारपोरेट कर			(37)			
कर-पश्चात संचालन से प्राप्त नकद (क)			16,885			
(ख) निवेश संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो						
स्थिर परिसंपत्तियों	1,400			6,622		
जोड़ें : मूल्यह्रास में समायोजन	6			106		
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	10			1		
	1,416			6,729		
घटाएं : परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	34	1,382		11	6,718	
चालू पूंजीगत कार्य	9,422			1,927		
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए समायोजन	123	9,299		81	1,846	
निर्माण सामग्रियां एवं पेशगियां		1,015			2,234	
निवेश		6,799			-	
निवेश संबंधी गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद (ख)			(18,495)			(10,798)

ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो						
हिस्सा पूंजी जारी करने से प्राप्ति		5,940			5,908	
हिस्सा पूंजी जमा से प्राप्ति		1,480			232	
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि		-			73	
उधार/ऋणों से प्राप्ति	594			2,759		
घटाएं: विनिमय दर अंतर के लिए समायोजन	26	568		13	2,746	
अदा किया गया ब्याज		(4,868)			(4,497)	
वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो (ग)			3120			4,462
घ. विविध खर्च (बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक)		79			15	
जोड़े: आस्थगित राजस्व खर्च के समायोजन के लिए		11			3	
(घ)			(90)			(18)
च. लाभांश/ लाभांश कर (च)			(331)			(185)
नकद/ नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/ कमी (क+ख+ग+घ+च)			**1,089**			**95**
नकद तथा नकद के समतुल्य (आदि शेष)			1,117			1022
नकद तथा नकद के समतुल्य (अंत शेष)			2,206			1117

टिप्पणी: नकद तथा नकद के समतुल्य का अर्थ नकदी तथा बैंकों में जमा शेष से है।

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2001

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2001 के संलग्न तुलनपत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के खाते शामिल हैं, की लेखापरीक्षा कर ली गई है।

1. निर्माता व अन्य कंपनियां (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट,) आदेश सं. 1988 की अपेक्षा अनुसार कथित आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. उपर्युक्त अनुबंध के पैरा (1) के संदर्भ में टिप्पणियों के अतिरिक्त:

   क) हमने वे सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ख) जैसा कि बहियों की जांच से पता चलता है, कि हमारे विचार से निगम ने कानूनी तौर पर अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   घ) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा है।

   ङ) 31 मार्च, 2001 तक संबद्ध कंपनियों से प्राप्त पुष्टिकरण के आधार पर और हमारी जानकारी के अनुसार निगम का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के अन्तर्गत अयोग्य नहीं है।

   च) हमारे विचार से निम्नलिखित को छोड़कर, लाभ व हानि लेखा तथा तुलनपत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुकूल हैं।

3 हमारी रिपोर्ट है कि:

   I) *बिक्री में चमेरा-I तथा उड़ी परियोजनाओं के लिए निगम द्वारा अपने लाभभोक्ताओं से विनिमय दर अंतर (ई.आर.वी.) के कारण किए गए दावा में **593.1 मिलियन रुपये** शामिल हैं। उपर्युक्त राशि में से **447.5 मिलियन रुपए** की राशि 2000-01 के दौरान चमेरा-I तथा उड़ी परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण के संबंध में अदा की गई किश्तों के लिए दावा की गई विनिमय दर अंतर के संबंध में है। विदेशी ऋण में विनिमय दर अंतर के लिए देयता में वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कॉस्ट में जोड़ी गई है। हमारे विचार से ऐसे विदेशी ऋणों के लिए विनिमय दर अंतर की प्रतिपूर्ति की राशि स्थिर परिसंपत्तियों की कैंरिंग कॉस्ट से कम होनी चाहिए। फिर भी, निगम का कहना है कि किश्तों पर ऐसे विनिमय दर का दावा उसकी बिक्री प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वर्ष के लिए निगम की परिसंपत्तियों और लाभ पर मूल्यह्रास में हुए परिवर्तनों का छोड़कर वर्ष के लिए अनुमानित **20 मिलियन रुपए** के आधार पर **447.5 मिलियन रुपए** का प्रभाव पड़ा, जिसका पूरी सूचना के अभाव में निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

   II) बैरास्यूल, सलाल व लोकतक में निर्माण के दौरान सकल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास व परियोजनाओं के संचित मूल्यह्रास के लिए चार्ज किए जा रहे क्रमश: **51.6 मिलियन रुपए, 156.6 मिलियन रुपए** व **52.8 मिलियन रुपए** के असमायोजन का प्रभाव टैरिफ निर्धारण, जो कि बैरास्यूल, सलाल व लोकतक के लिए 1992 तक के लिए अभी अधिसूचित किया जाना है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-2001 तक के लिए बिक्री व लाभ का निर्धारण नहीं किया गया है। अत: 31 मार्च, 2001 तक के लेखे में कोई समायोजन नहीं किया जा सका है।

   III) निगम ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना, जैसा कि निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अपेक्षित है, इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर में **4 मिलियन रुपए,** उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. के बॉण्ड्स में **6000 मिलियन रुपए** तथा नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के शेयर में **795 मिलियन रुपए** का निवेश किया है।

IV) पूरे ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण और संदेहास्पद ऋण की व्यवस्था के आधार पर तथा लाभभोक्ताओं के साथ संबद्ध लेखों का समाधान करने के लिए विचाराधीन मतभेदों को देखते हुए निगम के पास रखे **758 मिलियन रुपए** के संदेहास्पद ऋणों के लिए हम ऐसी व्यवस्था की पर्याप्तता पर या अन्यथा कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। *फिर भी, **56.89 मिलियन रुपए** के ऋण के संबंध में अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि कई सालों से बकाया है।*

निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त धनराशि को ध्यान में रखते हुए कार्यों की स्थिति/लाभ की संभावना पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं:

V) ख) टिप्पणी सं. (4) अनुसूची-16

विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीद व निगम के पक्ष में टाइटिल डीड के निष्पादन के लिए अंतिम निपटान के संबंध में।

ख) टिप्पणी सं. (6) अनुसूची-16

विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के लिए बिक्री की अस्थायी बुकिंग तथा प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन के लिए गणना न की जाने वाली सहित रंगित परियोजना में बिजली की बिक्री के संबंध में।

ग) टिप्पणी सं. (8) अनुसूची-16

ठेकेदारों को दी गई सामग्री में से शेष बची सामग्री, ठेकेदारों, विविध देनदारों को दी गई पेशगियां, जिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से व उन पर देयतायें शामिल हैं ट्रांजिट/निरीक्षण के अधीन सामग्री, ठेकेदारों से प्राप्त जमा/पेशगी राशि, वसूली योग्य दावे, जिसमें पीजीसीआईएल पर **147.88 मिलियन रुपये** सहित, जिनका भुगतान नहीं किया गया है और जिनकी कई वर्षों से पुष्टि भी नहीं हुई है, की देयताएं भी शामिल हैं, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगी और कुछ कार्यालयों में बैंकों में शेष राशि के पुन: समाधान/पुष्टि न होने के संबंध में।

हमारी यह रिपोर्ट है कि उपर्युक्त पैराग्राफ 3 II और V (क) से (ग) में उल्लिखित मदों पर विचार किए बिना, जिनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है, उपर्युक्त पैराग्राफ I और IV में हमने यह देखा है और हमारा विचार है कि वर्ष के लिए लाभ **3987 मिलियन रुपए** होगा (कर पूर्व **4471 मिलियन रुपए** की दी गई सूचना की तुलना में) आरक्षित तथा अधिशेष के लिए **21238 मिलियन रुपए** होगा (**21722 मिलियन रुपए** के लिए दी गई सूचना की तुलना में) और

पैराग्राफ-3 II और (IV) (क) से (ग) में हमारी टिप्पणी के अन्तर्गत व उसमें संदर्भित मामलों के संबंध में उत्पन्न समायोजनों व इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों के साथ पठित उक्त लेखे व उनका भाग बनने वाली टिप्पणियां कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करती हैं और एक स्पष्ट और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

क) 31 मार्च, 2001 को तुलनपत्र, कंपनी के कार्यों की स्थिति के मामले में; और

ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ व हानि लेखा, लाभ के मामले में।

कृते **जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 24 जुलाई, 2001

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैरा- । के संबंध में :

1. निगम ने स्थिर परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का ब्यौरा दर्शाने वाला मात्रात्मक विवरण सहित रिकार्ड रखा है। केवल कुछ मामलों में स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति नहीं दिखाई गई है। वर्ष के दौरान कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई, जहां पर सत्यापन व समाधान पूरा कर लिया गया है।

2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।

3. प्रबंध वर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में मालसूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति निगम के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है। *केवल कुछ ही मामलों में दूसरी पार्टियों के पास पड़ी हुई सामग्री की पुष्टि/सत्यापन किया गया है। निगम की परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना में जिसके लिए ठेकेदार को 3.3 मिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं, की पुष्टि दस्तावेज साक्ष्य निगमित नहीं किया गया है।*

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधवर्ग द्वारा स्टॉक, पुर्जों आदि का वास्तविक सत्यापन करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है, निगम के आकार एवं व्यवसाय की किस्म के अनुसार उसे और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जैसा की इसकी एक परियोजना में ध्यान दिलाया गया है।

5. वास्तविक भंडार और रिकार्ड बुक के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों को लेखा खातों में समायोजित कर दिया गया है, केवल कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, जहां कमियां, समाधान और अन्वेषण के अधीन हैं। कुछ मामलों में ठेकेदारों के पास स्टोर समाधान/पुष्टि की शर्त के अधीन हैं।

6. स्टॉक रिकार्ड की जांच करने के बाद, हमारी राय में स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष की भांति सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरुप है, जो सही व उचित है। केवल ओ.एण्ड एम. परियोजना स्थल पर रखे गए स्टॉक का इंजीनियरिंग अनुमान के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

7. हमें दी गई जानकारी के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों फर्मों या अन्य पार्टियों से और कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 370 की उपधारा (1बी) के अंतर्गत समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों से किसी भी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं लिया है।

8. हमें दी गई जानकारी के अनुसार निगम ने इसकी सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त अनारक्षित ऋण मंजूर किया है।

9. जिन पार्टियों और कर्मचारियों को ऋण के रूप में ऋण पेशगी दी गई है, वे सामान्य नियमित रूप से मूल राशि और ब्याज जहां कहीं लागू है 'संदेहजनक पेशगी संबंधी मामलों को छोड़कर' का भुगतान कर रहे हैं जैसा कि इसकी दो परियोजनाओं में हमें बताया गया है कि कुछ मामलों में पेशगियों और ब्याज, जहां कहीं लागू हैं, दीर्घ समय से बकाया है और कुछ मामले मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित पड़े हैं जिन शर्तों पर ऐसे ऋण पेशगियां दी गई थीं, उनसे निगम के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

10. हमारी राय में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और कार्यों के अनुरूप है। *फिर भी हमारे विचार से कुछ क्षेत्रों में जैसे स्टोरों की खरीद, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के असमाधान के पुराने समायोजन, सामग्री, ठेकेदारों को दिए गए उपस्कर, देनदारों और ठेकेदारों को दी गई पेशगी पर अनुवर्ती कार्रवाई, पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा धीमी गति वाले भंडारों का निपटान करने आदि जैसे क्षेत्रों को सुदृढ़ करने ओर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।*

11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाई गई प्रत्येक पार्टी के लिए वर्ष के दौरान 50,000 रुपए या इससे अधिक के लिए किसी प्रकार के सामान व सामग्री की खरीदरारी व बिक्री तथा सेवाओं का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

12. जैसा कि बताया गया है कि अधिकतर परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास नियमित प्रक्रिया है। हानि के लिए व्यवस्था इन मदों को निर्धारित करते समय की जाती है।

13. कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58-ए व उसके प्रावधानों के अधीन होने वाले नियमों के अंतर्गत निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम में बेकार सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। निगम का कोई अन्य उत्पादन नहीं है।

15. हमारे विचार से निगम का आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था निगम के आकार व व्यवसाय के अनुरूप है। विशेषकर गुणवत्ता और आवर्तन पहलुओं और कार्यक्षेत्र कवरेज की लगातार समीक्षा की जा रही है।

16. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209 (i) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

17. निगम द्वारा रखे गये रिकार्ड के अनुसार भविष्यनिधि की बकाया राशि की देयताएं सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास समय पर जमा कर दी जाती हैं। हमें बताए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 नियम निगम पर लागू नहीं होता है।

18. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2001 को आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में देय तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं थी।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा बहियों की जांच सामान्त: स्वीकार्य लेखापरीक्षा सिद्धांतों के अनुसार की गई है। ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्चे, जो संविदा दायित्वों या सामान्य व्यवसाय पद्धति के अंतर्गत आते हैं, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

20. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (ओ) के प्रावधान के अंतर्गत निगम घाटा औद्योगिक निगम नहीं है।

21. सर्विस कार्यों के संबंध में :

i) निगम के भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों और सामग्रियों की खपत व स्टोरों तथा संबंद्ध कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के आबंटन के लिए युक्तिसंगत व्यवस्था अपनाई गई है।

ii) निगम में संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले आबंटन के लिए युक्तिसंगत व्यवस्था की गई है।

iii) कंपनी में भंडार करने तथा भण्डार और श्रमिकों के आबंटन के उचित स्तर पर अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण वाली एक समुचित पद्धति निगम के आकार और व्यवसाय के अनुरुप मौजूद है।

कृते **जैन चोपड़ा एण्ड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अशोक चोपड़ा)

भागीदार

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 24 जुलाई, 2001

I. बिक्री में विनिमय दर अंतर (ईआरवी) के कारण **593.1 मिलियन रुपए** की धनराशि शामिल है, जिसका दावा निगम द्वारा **चमेरा-I तथा उड़ी** परियोजनाओं के लिए इसके लाभभोगियों से किया गया है। उक्त राशि में से **447.5 मिलियन रुपए** की राशि विनिमय दर अंतर के कारण है, जिसका दावा किश्तों में किया गया है और वर्ष 2000-01 के दौरान इन किश्तों का भुगतान विदेशी ऋण के लिए किया गया, जो क्रमशः **चमेरा-I तथा उड़ी** परियोजनाओं से संबंधित है। विदेशी ऋण पर विनिमय दर अंतर के कारण देयता में वृद्धि को प्रत्येक वर्ष के अंत में स्थायी परिसंपत्ति की कैरिंग लागत से जोड़ दिया गया है। हमारी राय में ऐसी विदेशी ऋण पर विनिमय दर अंतर (ई.आर.वी.) के लिए प्रतिपूर्ति की राशि स्थायी परिसंपत्ति की कैरिंग लागत से घटा दी जानी चाहिए थी। तथापि, निगम दावा करता है कि किश्तों पर ऐसे विनिमय दर अंतर का दावा इसकी बिक्री आय का भाग है। इस संबंध में वर्ष के लिए मूल्यह्रास पर अनुमानतः **20 मिलियन रुपए** के प्रभाव को छोड़कर, पूरी सूचना के अभाव में निगम की वर्ष के लिए **447.5 मिलियन रुपए** की परिसंपत्ति व लाभ पर इस प्रभाव का यथावत निर्धारण नहीं किया जा सका।	विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अधीन अधिसूचित टैरिफ सिद्धातों तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वॉल्यूम XI की आपत्ति संख्या 1.11 में व्यक्त विचार के अनुसार परियोजना के लिए टैरिफ के भाग के रूप में ई.आर.वी. की राशि का दावा किया गया है। प्रबंधवर्ग के विचार से प्रक्रिया सही है और इसका निरंतर अनुसरण किया जा रहा है
II. **बैरास्यूल, सलाल व लोकतक** में क्रमशः **51.6 मिलियन रुपए, 156.6 मिलियन रुपए** और **52.8 मिलियन रुपए** के गैर समायोजन का प्रभाव, जो मूल्यह्रास है, जिसको निर्माण अवधि के दौरान सकल परिसंपत्ति में से वसूल किया जा रहा है तथा टैरिफ के निर्धारण होने पर, परियोजनाओं का संचित मूल्यह्रास जो, बैरास्यूल, लोकतक तथा सलाल के मामले में 1992 तक, अभी भी अधिसूचित नहीं है और वर्ष 2000-01 तक कुल बिक्री तथा लाभ पर इसके अनुवर्ती प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च, 2001 तक लेखों में कोई समायोजन नहीं किया जा सका।	बताए गए समायोजन बैरास्यूल, लोकतक तथा सलाल परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिन्हें क्रमशः 1982, 1985 तथा 1987 में चालू किया गया था। प्रबंधवर्ग के विचार से समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।
III. निगम ने भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना ही, जैसा कि निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अपेक्षित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर में 4 मिलियन रुपए, उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. के बॉण्ड्स में 6000 मिलियन रुपए तथा नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के शेयर में 795 मिलियन रुपए का निवेश किया है।	भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, केवल नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को छोड़कर। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।
IV. पूरे ब्योरे उपलब्ध न होने और संदेहास्पद ऋण के प्रावधान के आधार के साथ ही लाभभोक्ताओं के साथ संबंधित लेखों के अंतर का समाधान लंबित होने के कारण निगम द्वारा संदेहास्पद ऋण के तौर पर रखे गए **758 मिलियन रुपए** के प्रावधान की पर्याप्तता पर या अन्यथा भी कोई टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं। तथापि, देनदारों के संबंध में कई वर्षों से बकाया **56.89 मिलियन रुपए** की राशि के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	हमारे विचार से किया गया प्रावधान पर्याप्त है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध के उत्तर

1. निगम ने स्थिर परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का पूरा बयौरा दर्शाते हुए मात्रात्मक विवरण सहित रिकॉर्ड रखा है। केवल कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में उनकी स्थिति और पहचान-चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान जहां सत्यापन और समाधान पूरे किए गए हैं, कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।

   कुछ मामलों में स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में उनकी स्थिति और पहचान चिह्न को दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में वर्ष 2001-02 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3. प्रबंधवर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में माल सूची की स्थायी पद्धति को अपनाते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों, कच्चे माल का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधवर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति निगम के विस्तार और कार्यों के अनुरूप उचित है। केवल कुछ ही मामलों में तीसरी पार्टी के पास पड़ी हुई सामग्री की पुष्टि / सत्यापन किया गया है। निगम की परियोजनाओं में से एक परियोजना में 3.3 मिलियन रुपए की कीमत के विस्फोटक एक ठेकेदार को दिए जाने की सूचना को छोड़कर, इसकी पुष्टि किसी समर्थक साक्ष्य के दस्तावेज से नहीं की गई है।

   आवश्यक कार्रवाई वर्ष 2001-02 में की जाएगी क्योंकि पुन: समाधान करना प्रक्रियाधीन है।

4. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा भण्डार, पुर्जों आदि के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अपनाई गई पद्धति को, निगम के विस्तार और कार्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि निगम की एक परियोजना में उल्लेख किया जा चुका है, और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

   हमारी राय में, निगम में पर्याप्त प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रिया मौजूद है।

9. कर्मचारियों सहित पार्टियों को ऋण के रूप में दिए गए ऋण और पेशगियों का सामान्यत: मूल राशि और ब्याज के साथ, जहां कहीं लागू हो, पुनर्भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहा है, केवल संदेहजनक मानी गई पेशगियों को छोड़कर। कुछ मामलों में, जैसा कि बताया गया है कि दो परियोजनाओं में पेशगियों और ब्याज, जहां कहीं लागू हो, लम्बे समय से बकाया हैं और कुछ मामले मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित हैं। जिन शर्तों पर ये ऋण / पेशगियां दी गई थीं वे निगम के हित के विपरित नहीं थीं।

   सामान्यत: कर्मचारियों से नियमित वसूली की जाती है, फिर भी इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

10. हमारी राय में व हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संयत्र व मशीनरी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद व सामान की बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निगम के आकार और कार्यों के अनुरूप मौजूद है। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में जैसे सामग्री की खरीद, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के समाधान न किए गए पुराने समायोजन, ठेकेदारों को दी गई सामग्री और उपस्कर, ठेकेदारों और देनदारों को दी गई पेशगियों, पुराने संयत्र और मशीनरी के निपटान, धीमी गति वाले भण्डारों के लिए बजट और ऋण संबंधी क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

    हमारी राय में इस टिप्पणी में उन क्षेत्रों, जिनके बारे में टिप्पणी की गई है, के लिए कंपनी में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।

अनुबंध-॥

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंधवर्ग का उत्तर
तुलन पत्र	
1. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां (अनुसूची-8)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	
अन्य-297 मिलियन रुपए	
इसमें स्विचगियर को हानि पहुंचाने के कारण अगस्त, 1994 में प्रस्तुत बीमे के दावे के तौर पर 15.70 मिलियन रुपए शामिल हैं। चूंकि दावे का निर्णय अभी नहीं हुआ है, अत: इसके लिए लेखों में प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों-बीमा कंपनी से वसूली योग्य दावे में अतिविवरण और लाभ में 15.70 मिलियन रुपए का अतिविवरण हुआ है।	बीमा कंपनी ने दिनांक 1.2.2001 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि यह दावा उनके मुख्यालय में विचाराधीन है और निगम द्वारा इसे सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। तदनुसार प्रबंधवर्ग का विचार है कि इस संबंध में कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
2. चालू देयताएं व प्रावधान (अनुसूची-9)	
चालू देयताएं-3206 मिलियन रुपए	
इसमें दुलहस्ती परियोजना के संबंध में उपस्करों की आपूर्ति पूरी होने के कारण 45.40 मिलियन रुपए की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं के साथ-साथ चालू पूंजीगत कार्य में 45.40 मिलियन रुपए का अधिविवरण हुआ है।	नोट कर लिया गया है। वर्तमान वर्ष में आवश्यक गणना कर ली गई है।
सामान्य	
3. कंपनी ने 1980 से अब तक कोयलकारो परियोजना पर 481 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस तथ्य को लेखों में प्रकट नहीं किया गया है।	निदेशकों की रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकट कर दिया गया है।

हस्ता/-
(रेवती बेदी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितंबर, 2001

अनुबंध-III

31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

नोट: लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अर्हताओं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति का सार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(करोड़ रुपए)

1. देयताएं	1998-99	1999-2000	2000-2001
क) **प्रदत्त पूँजी**			
i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	3,825.00	4,446.20	5,188.20
ii) अन्य	-	-	-
ख) **आरक्षित व अधिशेष**			
i) फ्री आरक्षित निधियां व अधिशेष	1,272.00	1,690.50	2,139.00
ii) शेयर प्रीमियम खाता	-	-	-
iii) आरक्षित पूंजी	0.10	0.10	0.10
ग) **उधार**			
i) भारत सरकार से	5,49.00	484.50	439.70
ii) वित्तीय संस्थानों से	957.90	1,885.20	2,142.40
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	1,837.40	1856.00	1,935.30
iv) नकद उधार	329.70	365.90	518.60
v) अन्य	1,587.90	991.80	607.10
vi) उपचित और देय ब्याज	45.80	0.30	0.00
घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान	562.24	723.73	608.50
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	44.56	52.87	60.10
च) अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
i) मूल्यह्रास के बदले पेशगी	245.50	386.10	519.90
कुल	**11,257.10**	**12,883.20**	**14,158.90**
परिसंपत्तियां			
छ) सकल ब्लॉक	7,090.40	7,752.70	7,892.70
ज) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	811.10	1,029.00	1,280.10
झ) शुद्ध ब्लॉक	6,279.30	6,723.70	6,612.60
ट) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य	2,898.80	3,280.10	4,323.80
ठ) निवेश	-	-	679.90
ड) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	2,078.60	2,877.50	2,532.80
ढ) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	0.40	1.90	9.80
त) संचित हानि	-	-	-
कुल	**11,257.10**	**12,883.20**	**14,158.90**
थ) कार्यकारी पूंजी {ड-घ+(i)-ग(vi)}	1,470.56	2,153.47	1,924.30
द) नियोजित पूंजी (झ+थ)	7,749.86	8,877.17	8,536.90
ध) निवल मूल्य {क+ख (i)+ख(ii)-ढ-त}	5,096.60	6,134.80	7,317.40
न) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए निवल मूल्य (रुपए में)	1.33	1.38	1.41

2. **निधियों के स्रोत और उपयोग**

वर्ष के दौरान 1904.60 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गई और उनका नीचे दिए गए अनुसार उपयोग किया गया:

	(करोड़ रुपए)
निधियों के स्रोत	
संचालन से प्राप्त निधियां	
क) वर्ष के लिए लाभ	443.40
जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	251.10
जोड़ें : स्व बीमा रिजर्व में वृद्धि	38.20
	732.70
ख) प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	742.00
ग) उधार ली गई निधि में वृद्धि	59.70
घ) ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	7.23
च) मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि	133.80
छ) कार्यकारी पूंजी में कमी	229.17
कुल	**1,904.60**
निधियों का उपयोग	
क) स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	140.00
ख) कार्यकारी पूंजी में वृद्धि	
ग) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	1,043.70
घ) प्रदत्त लाभांश	33.10
च) बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च	7.90
छ) निवेश	679.90
कुल	**1,904.60**

3. **कार्यकारी परिणाम**

31 मार्च, 2001 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
i) बिक्री	1194.40	1,075.70	1,142.80
ii) घटाएं : उत्पाद शुल्क	-	-	-
iii) शुद्ध बिक्री	1194.40	1,075.70	1,142.80
iv) अन्य या विविध आय	39.10	202.60	788.10
v) कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	260.60	398.00	455.50
vi) पूर्व अवधि समायोजन	44.70	3.20	-8.40
vii) कर पूर्व लाभ	305.30	401.20	447.10
viii) कर के लिए प्रावधान	-	-	3.70
ix) कर के बाद लाभ	305.30	401.20	443.40
x) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	16.50	18.30	33.10

4. **अनुपात विश्लेषण**

31 मार्च, 2001 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं :

	1998-99	1999-2000	2000-2001
क) लिक्विडिटी अनुपात			
चालू अनुपात (चालू देयताओं व प्रावधान के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ड/घ(i)+ग(vi)}	3.42	3.97	4.16
ख) ऋण इक्विटी अनुपात निवल मूल्य के लिए दीर्घ अवधि डेबिट {ग(i से v तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर)/ध}	0.97	0.85	0.70
ग) लाभ अनुपात			(प्रतिशत में)
निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व)			
(i) नियोजित पूंजी	3.94	4.52	5.24
(ii) निवल मूल्य	5.99	6.54	6.11
(iii) बिक्री	25.56	37.30	39.12
(iv) इक्विटी	7.98	9.02	8.62
घ) प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	79.82	90.23	86.18

5. **मालसूची स्तर**

31 मार्च, 1999 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर मालसूची स्तर नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रुपए)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
भंडार, पुर्जे एवं फालतू औजार	42.00	83.00	90.40

6. **विविध देनदारी**

31 मार्च, 2001 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदारी और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है:

31 मार्च तक	विविध देनदारी			बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	बिक्री के लिए विविध देनदारी का प्रतिशत
	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहजनक	कुल		
1999	1,669.40	82.40	1,751.80	1,194.40	146.67
2000	2,280.90	82.60	2,363.50	1,075.70	219.72
2001	1,982.50	77.50	2,060.00	1,142.80	180.26

वर्ष 2000-2001 की समाप्ति पर विविध देनदारों का वर्षवार विवरण नीचे दिए अनुसार है:

	राशि (करोड़ रुपए)
एक वर्ष से कम के लिए बकाया देनदारी	988.45
1-2 वर्ष के लिए	522.10
2-3 वर्ष के लिए	317.35
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	232.10
कुल	**2,060.00**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितम्बर, 2001

हस्ता./-
(रेवती बेदी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

क) ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा की बचत के लिए उपाय किए गए और किए जा रहे हैं।

एन.एच.पी.सी. पावर सिस्टम का डिज़ाइन इसका अनुकूलतम उपयोग करने के लिए किया गया है ताकि ऊर्जा हानियों (सहायक खपत) को न्यूनतम किया जा सके।

(ख) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले आगामी प्रभाव को कम करने के लिए किए गए।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोगिता दर्ज की गई।

(घ) प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस अनुबंध के फॉर्म-'ए' में संलग्न है।

एन.एच.पी.सी. इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

फार्म-बी

1. कंपनी द्वारा जिन विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) के कार्य किए गए:-

   - टरबाइन के जलमग्न हिस्सों की कार्य अवधि को बढ़ाना।
   - उत्पादन यूनिटों के उपकरणों में सुधार।
   - उत्पादन यूनिटों और ट्रांसफार्मरों की स्थिति की मॉनीटरिंग।
   - उच्च कार्यक्षमता की कंक्रीट।

2. उपरोक्त आर.एण्ड डी. के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

   आर. एण्ड डी. परियोजनाओं के परिणामों के कार्यान्वयन से अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं किन्तु उनकी गणना करना सम्भव नहीं है। सलाल और बैरा स्यूल के रनर तथा गाइड वेन्स के पुनर्स्थापन/पुन: निर्माण को मात्र एक वर्ष के लिए बढ़ाने से समय व लागत में अत्यधिक कमी होगी। उत्पादन यूनिटों और ट्रांसफार्मरों की अच्छी स्थिति की मॉनीटरिंग करने से, प्रारम्भिक अवस्था में ही फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है, इससे उत्पादन में कमी के साथ-साथ बड़े फॉल्ट और महंगी मरम्मत से बचा जा सकता है। उच्च क्षमता वाली कंक्रीट स्थापित करने से अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं जैसे कम सामग्री, कम मात्रा में बीम, रख-रखाव कार्य में कमी तथा बढ़ी हुई कार्य अवधि आदि।

3. 2001-2002 की भावी कार्य योजना

   उपरोक्त आर.एण्ड डी. गतिविधियां जारी रखने का प्रस्ताव है।

4. आर.एण्ड डी. पर व्यय

   1997-98 से 2000-01 कुल-2.21 करोड़ रुपए

   2001-2002 : आर.एण्ड डी. गतिविधियों के लिए 2.00 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए जियोथर्मल पावर के विकास से संबद्ध आर.एण्ड डी. कार्यों के लिए हैं।

प्रौद्योगिकी समायोजन, ग्राह्यता और नवीकरण

1. **प्रौद्योगिकी समायोजन, ग्राह्यता और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण**

नदी के पानी में खासतौर से मानसून के मौसम में अत्यधिक मात्रा में अपघर्षक सिल्ट मौजूद होने के कारण टरबाइन के जलमग्न हिस्से बहुत जल्दी क्षरित हो जाते हैं। अधिकतर नदियों का प्रादुर्भाव हिमालय से होता है, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक अपरिपक्व और अस्थिर है। इसलिए मानसून के दौरान ऊपरी मिट्टी नदी के साथ सिल्ट के रूप में प्रवाहित होती है। **अमरीकी और यूरोपीय देशों को सिल्ट के दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं है,** क्योंकि वहां मानसून जैसी वर्षा नहीं होती और न ही हिमालय जैसे अस्थिर पहाड़ हैं इसलिए टरबाइन के हिस्सों की कार्यअवधि को बढ़ाने की तकनीक आंतरिक तौर पर विकसित करनी होगी।

2. **उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, यथा उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद का विकास तथा आयात के विकल्प आदि नीचे दिए अनुसार हैं :-**

क्रम सं.	प्रौद्योगिकी ग्राह्यता/नवीकरण	लागत में बचत/उत्पादन में सुधार
1.	सलाल और टनकपुर परियोजनाओं में जलाशय चैनल से सिल्ट निकासी के लिए हाइड्रो सक्शन सिल्ट एक्सक्लूज़न सिस्टम।	टनकपुर परियोजना में पिछले 7 वर्षों में, वर्ष 2000 से पूर्व तक कैनाल की डिस्लिटिंग पर लगभग 4.0 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हाइड्रो सक्शन व्यवस्था, जिसकी लागत उपरोक्त कीमत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, का उपयोग करके इस समस्या का बहुत हद तक समाधान कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, सलाल परियोजना से नगण्य लागत पर पर्याप्त मात्रा में सिल्ट निकाली जा रही है जिससे जलाशय की क्षमता में वृद्धि हुई है और टरबाइनों में सिल्ट निकाली जा रही है जिससे जलाशय की क्षमता में वृद्धि हुई है और टरबाइनों में सिल्ट का बहाव भी कम हुआ है।
2.	कूलिंग वाटर सिस्टम की कूलर ट्यूबों की डी-स्केलिंग	कूलर ट्यूबों की डी-स्केलिंग करने से कूलिंग सिस्टम में कारगर परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे टनकपुर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन यूनिटों को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी

जल विद्युत विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन होने के कारण, एन.एच.पी.सी. देश को स्वच्छ एवं सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। एन.एच.पी.सी. आयातित प्रौद्योगिकी का अध्ययन और उसे अपनाने के संबंध में भी भरपूर प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप ही सलाल एवं टनकपुर परियोजनाओं में जलाशय से सिल्ट निकालने के लिए चीन के जल विद्युत पावर स्टेशनों में बड़े स्तर पर प्रयोग में लाए जा रहे हाइड्रो सक्शन सिस्टम को अपनाया जा रहा है।

ग. विदेशी मुद्रा में आय व व्यय

व्यय	मिलियन रुपए
1. आयातित संयंत्र व मशीनरी की कीमत	535
2. जानकारी	139
3. विविध (व्यय)	3033
4. ब्याज	1178
5. संचालित यूनिटों में उपयोग में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों व हिस्सों की कीमत	
- आयातित	4
- स्वदेशी	67
आय	
6. ब्याज संबंधी आय	-
7. अन्य	-

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत विवरण:-

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के पास, इसकी सहायक कंपनी यानी नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि. (एन.एच.डी.सी.) द्वारा जारी 1000 रुपए प्रत्येक के 7,95,513 शेयरों में से 7,95,512 शेयर हैं।

नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लि. के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अत: निगम को कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 212 (8) के अंतर्गत दस्तावेज संलग्न न करने के लिए छूट प्राप्त हो गई है।

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(विजय गुप्ता)	**(आर. नटराजन)**	**(योगेन्द्र प्रसाद)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सियांग बेसिन परियोजना स्थल का एक दृश्य - अरुणाचल प्रदेश

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
(भारत सरकार का उद्यम)
एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33
फरीदाबाद-121 003, हरियाणा
Website : http://www.nhpcindia.com

Printed at IPP Ltd.